SHRI SOM PAL: Welcome, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): The Finance Minister, please.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1997-98 (AUGUST, 1997)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) 1997-98 (August, 1997).

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Som Palji, you may continue now.

SHORT DURATION DISCUSSION ON THE PREVAILING SITUATION IN BIHAR—(contd.)

श्री सोमपाल: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली महानगरी में मैं भी 1957 में गांव से आया था और मैंने भी पढ़ना-लिखना वहां सीखा जहां धरती के ऊपर अक्षर बनाने सीखे थे अंगुली से। उस समय न कलम थी, न तख्ती भी, न दवात थी और न स्याही थी। उस समय में छटी से लेकर दसवीं तक अपने गांव की पास के कस्बे में साढ़े पांच किलोमीटर रोज जाता था और साढ़े पांच किलोमीटर वापस आता था। वहां रास्ते में दो पानी पिलाने की प्याऊ पड़ती थीं एक पंडित जी की थी और एक लाला जी की थी। मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूं, मैं जाति को मानता नहीं हूं और उसका प्रमाण यह है कि मेरे पिताश्री ने जब मेरा नाम विद्यालय में अंकित कराया तो उसके सामने जाति सूचक कोई शब्द नहीं था। मेरे से छोटा नाम यहां किसी सांसद का नहीं है सोमपाल। ...**(व्यवधान)**...

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): मेरा छोटा नाम है राघवजी।

श्री गोविन्दराम मिरी: राघवजी है।

श्री सोमपाल: उनके सामने जी लगा है और राघव लगा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। मैं यह किसी किताब में से तर्क ढूंढ़ कर नहीं लाया हूं, किसी पुस्तक में से नहीं लाया हूं। जब हम जाते थे तो व ह दो पानी की प्याऊ पड़ती थी। जब हम पानी पीते थे तो दोनों प्याऊ के ऊपर यह नियम था कि बीच में ढाक का पत्ता या लकड़ी की नुलकी लगा दी जाती थी कहीं यह पानी मिट नहीं जाए। यह तो हमारी जाति के साथ, जो कि एक मध्यम जाति जाटों की, उसके साथ व्यवहार था। ..**(व्यवधान)**..

डा॰ रणबीर सिंह (उत्तर प्रदेश): यह गलत बात कर रहे हैं।

श्री सोमपाल: मैं सन् 1951 से 1956 की बात कर रहा हूं। अग्रवाल जी आप जहां से आ रहे हैं वहां तो जूतें नहीं पहनने दिए जाते हैं, शर्म नहीं आती है आप लोगों को। ..

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं-नहीं, अग्रवाल जी नहीं बोल रहे हैं।

डा॰ रणबीर सिंह: आप ऐसी बात मत कहिए।

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, उनको नियमित करिए....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, डाक्टर साहब कह रहे हैं, डाक्टर साहब ने कहा है। ...**(व्यवधान)**...

डा॰ रणबीर सिंह: मैं तो उस इलाके में इनसे पहले से जी रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ।...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी): चलिए आप अपने विषय पर बोलिए। नहीं तो आपके विचारों की जो कड़ी है वह गड़बड़ हो जाएगी।

श्री सोमपाल: महोदय, मेरे विचारों की कड़ी किसी से गड़बड़ नहीं होती है परन्तु इसका मतलब यह है कि मेरे ऊपर मिथ्याचार का आरोप लग रहा है।...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मिथ्याचार का आरोप नहीं है।

श्री सोमपाल: इसको मैं कैसे मान लूं। मैं तो अपने पर बीती हुई बात कह रहा हूं। डाक्टर साहब तो बहुत पहले अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए थे। ये बड़े घर से आते हैं और हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय की फीस नहीं थी।

डा॰ रणबीर सिंह: यह दूसरी गलत बात कह रहे हैं।

श्री सोमपाल: आप 1958 में अमेरिका गए नहीं...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): बाद में गए हैं, उतनी जल्दी नहीं गए हैं।

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, उनका उत्तर तो देना पड़ेगा। अब मैं सी०बी०आई० की भूमिका पर आता हूं। इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा क्योंकि मुझे समय-सीमा का ध्यान है। बार-बार सी०बी०आई० के अधिकारियों का इस प्रकार से प्रेस में जाना और वक्तव्य देना, यह एक नया युग चला है व्यक्तिगत प्रशस्ति का अधिकारियों के द्वारा और इसमें कोई नाम आते हैं-कोई अल्फोंस, कोई खैरनार और बिश्वास और हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यदि इन लोगों को धर्मयोद्धा बनने का इतना ही शौक है तो उस राजकीय पदाधिकार और उसकी सुरक्षा के आवरण से बाहर आ कर के सड़क पर आयें राजनीति करें, उनका स्वागत है, कोई मना नहीं करता है और यह भी पता लगा गया कि हमारे शेषन साहब कितने लोकप्रिय हैं और कहां जाकर डूबे। यह भी सबके सामने आ गया। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश प्रधान: हमारे पास ही आए न। हम काहे के लिए डुबोये ...(व्यवधान)...

श्री सोमपाल: मैं तो मानता हूं कि उनको डुबाने में आपका श्रेय है। ...(व्यवधान)... हम तो सबको साथ लेकर जीना चाहते हैं आपको उसमें क्यों तकलीफ हो रही है ...(व्यवधान)... मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके पीछे एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा काम कर रही है। जैसा कि हमारे साथी अहलुवालिया जी ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को इस प्रकार की व्यक्तिगत श्लाघा किसी प्रकार शोभनीय नहीं है और यह पूरी आचार संहिता के और उनको प्राप्त अधिकारों और उनको दिए गए कर्तव्यों की स्पष्ट उल्लंघन है और अवहेलना है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि वे बार-बार प्रेस में कहते है। जब तक मैं लालू को हथकड़ी नहीं लगाऊंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह अखबार में इन्वर्टिड कॉमा में छपा है। हम तो मिले नहीं उनसे कभी। और रही बात सी०बी०आई० के अभियोग की, उनका एक के बाद एक अभियोग निष्फल और विफल होता जा रहा है, माननीय अडवाणी जी ने सदन से त्याग पत्र दे दिया, खुराना जी को मुख्य मंत्री पद से हटना पड़ा। इससे पहले श्री अंतुले जी के साथ यही हुआ था। क्या उनका वह समाज और उनका वह गौरव लौटा दिया गया? इस प्रकार के विचारहीन और विवेकहीन अभियोजना पर मैं आक्षेप करना चाहता हूं, इस के ऊपर आपत्ति करना चाहता हूं। यदि बिल्कुल निःसंदेह रूप से यह बात स्थापित हो गई हो कि कोई व्यक्ति इसमें दोषी है कि सारे कानून और विधान की मूल मान्यता है जिसकी चर्चा अहलुवालिया जी ने भी कि जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से दोषी नहीं मान लिया जाता है तब तक उसको निर्दोष ही माना जायेगा। इस व्यवस्था की धज्जियां उखाड़ने और उधेड़ने का काम इस आधुनिक दौर में इस सी०बी०आई० जैसी ऐजेंसियों ने किया है। यह बहुत उत्साह में काम करना चाहते हैं, हीरो बनाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बाहर आयें लोगों में जाये जैसी हम और आप लोग जाते हैं और लोगों का भला बुरा सुने परन्तु राजपद के ऊपर रहकर उनका यह कहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता।

दूसरी बात यह है कि 5 आई०ए०एस० अधिकारियों और एक राजस्व अधिकारी के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति केन्द्रीय सरकार से सी०बी०आई० ने मांगी और उसको अनुमति मिली 3 के विरूद्ध। यदि सीबीआई की बात चलती तो उन दो की और दुर्गति हो जाती। इसका सीधा-सीधा मतलब यह था कि बिना पूरा विचार किये, बिना पूरी अन्वेषणा के वे उनके ऊपर अभियोग चलाना चाहते थे, यह उनकी विश्वसनीयता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा करती है। कैसे विश्वास किया जायेगा सी०बी०आई० की जांच का? रही लालू जी की बात। पूरी जांच सम्पन्न हो चुकी थी। न्यायालय ने उनकी जमानत मना कर दी। वे सर्वोच्च न्यायालय तक गये और 29 की दोपहर को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। जैसे ही सूचना मिली, लालू प्रसाद जी ने यह घोषणा कर दी कि कल सुबह मैं स्वेच्छा से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। इससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस कारण से जो विद्वेष और पक्षपात की गंध आती है यही विश्वास बहुत लम्बा-चौड़ा तर्क कर चुके थे कि लालू प्रसाद फार्डिनेन्ट मार्कोस की तरह देश छोड़कर भाग जायेंगे। उन्होंने पहले ही ऐसी कल्पना कर ली थी। यह एक निराधार आरोप था जिसकी पत्नी वहां मुख्य मंत्री है, जिसका परिवार है, घर है, रिश्तेदार हैं, सारा देश है कहीं कोई लक्षण दूर तक नहीं है, उसके ऊपर इस प्रकर मिथ्या और पूर्वाग्रहग्रस्त आरोप लगाना किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। मैं दोबारा जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह उनके व्यक्तिगत विद्वेष और दुर्भावना से ओत-प्रोत बात थी। पहले उन्होंने कहा कि वे चीफ मिनिस्टर और वहां दस्तावेजों में जो साक्ष्य उपलब्ध है, फाइलों के ऊपर उनमें फेरबदल कर देंगे। परन्तु जब वे अपने पद से त्यागपत्र भी दे चुके थे, अभी जेल भी चले गये, और उसके बाद उनसे बिना अनुमति के फिर एक कानून और नियम का उल्लंघन करके मिलने जाते हैं, जिसका उद्धरण, जिसकी चर्चा श्री अहलुवालिया जी ने की है। क्या परिस्थिति थी कि उन्हें सेना के पास जाना

पड़ा। शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई थी, संवैधानिक मशीनरी बरकरार थी, एक बाकायदा चुनी हुई सरकार थी, नागरिक प्रशासन ने उन्हें सहयोग देने से मना नहीं किया था। केवल कुछ समय अवश्य मांग था और मना भी करते या विलम्ब करते, तो सी०बी०आई० का यह कर्तव्य था कि पुनः न्यायालय में जाते। उस पूरी प्रक्रिया के कम्पलीट किये बगैर पहले ही यह अनुमान लगा लेना और आरोप देना और मिलिटरी के पास जाना यह स्पष्ट रूप से आचार-संहिता का और अपने कर्तव्यों का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। वारंट की तामील करने के लिए उन्हें 6 अगस्त तक की अवधि मिली थी तो क्या जल्दी थी? उनके अंदर एक भावना थी बदले की। वे चाहते थे कि आज रात को ही इनको हमें अपमानित करना है, इसका और कोई कारण समझ में नहीं आता। और फिर कहते हैं कि न्यायालय के पास रात को गये। क्या आम आदमी को, गरीब आदमी को न्यायालय रात को सुनता है।

जिसकी बच्ची का रेप हो जाता है, जिसकी हत्या हो जाती है, घर में डकैती हो जाती है, जिसको भ्रष्ट पुलिस अधिकारी बिना कानून के और वारंट के उठा कर ले जाते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसमें न्यायालय नहीं सुनता, इसमें न्यायालय की उदारता कहां से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आया? यह गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। यह खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि विश्वास साहब वहां के न्यायाधीशों के घर रात को जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं और सुरापान भी करते हैं। क्या गृह मंत्री महोदय इसकी जांच कराएंगे? इनकी फाइलों में है, मेरी जानकारी के अनुसार। फिर कहते हैं कि मौलिक आदेश। कोई प्रावधान मौलिक आदेश का न्यायालय की व्यवस्था में नहीं है। अहलुवालिया जी ने ठीक कहा कि सारी न्यायपालिका प्रक्रिया किसी निर्धारित विधि-विधान के तहत चलती है। न्यायालय का काम प्रशासन में कानून और संविधान को लागू करने का है और इसके लिए पूरी स्पष्ट व्यवस्था है, उल्लेख है, तौर तरीका बताया गया है। आज प्रातःकाल के नई दिल्ली के एक अखबार में एक सुप्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ श्री पी०पी० राव का एक छोटा का लेख छपा है, यह मेरे हाथ में 5 कालम का लेख है, इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय व्यर्थ होगा। (समय की घंटी) मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। इसमें अंत में उन्होंने कहा है कि कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है, न्यायालयों में बाक़ायदा उसकी घोषणा करनी पड़ती है, उसको प्रोनाउंस करना पड़ता है और इन्होंने मौखिक आदेश दे दिया। उस आदेश को ले कर सी०बी०आई० के अधिकारी जो अपने आप को बहुत विद्वान और बड़ा कार्यकुशल और उत्तरदायी मानते हैं, वह चले गए सेना के पास। यह तो ईश्वर की कृपा रही, सेना के अधिकारियों का विवेक बना रहा, उन्होंने उस अनुचित और अवैधानिक मांग को माना नहीं, नहीं तो कितनी भयावह स्थिति पैदा हो सकती थी, अगर सेना की एक सशस्त्र टुकड़ी वहां आ जाती और फायरिंग हो जाती। इसके पीछे क्या मंशा थी, किसी की हत्या करवाना चाहते थे, सिविल वार करवाना चाहते थे, गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते थे जिसमें मिलिटरी बुलानी पड़ती, ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे। यह तो किसी भी प्रकार से अपेक्षित नहीं था। साथ-साथ कानून और संविधान की सारी मान्यताओं को परम्पराओं को जिनकी चर्चा अग्रवाल जी करना चाहते हैं, सब का खुला और नंगा उल्लंघन है। इकोनोमिक टाइम्स में आज छपा है कि विश्वास ने वहां के नागरिक प्रशासन से मदद मांगी कि मैं शहर में जाना चाहता हूं और मुहल्लों और सड़कों पर घूम कर पता लगाना चाहता हूं। मुहल्लों और सड़कों पर घूम कर पत लगाना चाहता हूं कि लोगों की वास्तविक प्रतिक्रिया क्या है इसके संबंध में। क्या यह उनका काम है? क्या सारे बिहार की शासन व्यवस्था को दरोगा और इंस्पेक्टर चलाएंगे, यह मैंने उस दिन भी कहा था। हम क्या सब बैठ कर के भाड़ झोंकेंगे? उनको अधिकार नहीं था, यह भी आज के अखबार में छपा है, पटना के हवाले से छपा है। हम नहीं कह रहे हैं। आपने मारपीट और हाथापाई की बात की। जलसे, जुलूस में जहां इतनी भीड़ हो वहां इस प्रकार की छुट-पुट घटनाएं हो जाना स्वाभाविक बात है। परन्तु उस दिन जब बिहार राज्य पुलिस के महानिदेशक, मुख्य सचिव न्यायालय में गये तो वहां के तथाकथित संभ्रात वकील लोगों ने जो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, इसमें ज्यादातर उन लोगों की बहुतायत है, बहुमत है जो इन बड़ी जातियों के लोग आते हैं उन दोनों अधिकारियो. से मारपीट की और मुख्य न्यायाधीश को बहार आ कर, एसोसियेशन के मैम्बर्स को जुटा कर उनकी प्रताड़ना करनी पड़ी, बीच-बचाव करना पड़ा। इस बात की भी गृह मंत्री भी जांच करें कि किस प्रकार यह बात हुई। आप हमें शालीनता सिखाना चाहते हैं। वहीं वकील जिनको मानद अधिकारी माना जाता है न्यायालय का और वकील मिल कर सर्वोच्च अधिकारियों से इस तरह से मारपीट करें, हमें कानून बताया जाता है, शान्ति और व्यवस्था की बात कही जाती है और नागरिक उत्तरदायित्व की बात समझाई जाती है। मैं गृह मंत्री महोदय से अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बात भी इसमें आती है। क्या न्यायालय के न्यायाधीशों को यह अधिकार है

कि जो कानून में नहीं मिला, संविधान में नहीं लिखा, बल्कि उसके विरूद्ध इस प्रकार का आदेश दे दिया जाए कि जिसको कोई मानने पर बाध्य नहीं हो।

और यह वास्तव में हुआ। अब वह उनके खिलाफ तो न्यायालय की अवमानता का मामला बनाना चाह रहे है। राज्य प्रशासन के अधिकारी, क्या सैनिक अधिकारियों के विरूद्ध भी बनायेंगे न्यायालय वाले, इस सवाल का इस दृष्टकोण से जांच किया जाना भी आवश्यक है, और न्यायालय ने यह क्यों इस प्रकार के आदेश दिए मैं गृह मंत्री महोदय और सरकार से चाहूंगा कि वह सर्वोच्च न्यायलय से और न्यायविदों से इसके संबंध में चर्चा करें और यदि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ऐसी व्यवस्था की जाए। क्योंकि अगर ऐसी बात की है तो न्यायधीश भी इस व्यवस्था से ऊपर नहीं है। ऐसे मामले हुए है कि जहां न्यायाधीशों ने अपने अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण किया हो तथा उनके विरूद्ध महाभियोग चले इस एंगल से भी, इस दृष्टिकोण से भी इस सारी घटना पर जांच किया जाना आवश्यक है। उसके बाद अंत में वह सी॰बी॰आई॰ के अधिकारी बिस्वास महोदय जेल गए मैनुअल का उल्लंघन करके और दूसरे को वह कानून और दूसरी बात बताते है। कानून में इसकी स्पष्ट रुप से मनाही तो है। मिथ्याचार के आरोप में क्या सरकार उनके विरुद्ध मुकदमा चलायेगी या नहीं और क्या कार्यवाही करेगी, यह भी मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं?

इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभापति (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): धन्यवाद, सोमपाल जी।

श्री नीलोत्पल बसु। आपके दस मिनट है।

SHRI NILOIPAL BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am actuely aware of the constraint of time. Therefore, I do not intend to go through the historical journey which this House has traversed this morning. I think history is also quite confusing because people have spoken and recognised the great merits of the former Chief Minister of Bihar. If we go through the past proceedings, we have heard with equal eloquence allegations. Subsequentlly today they have been repeated. I think history doesn't always help us in understanding the issue. Sometimes it is rather confusing. Today we are not only discussiong legal and Constitutional Points, but I think an issue which the entire House cutting across political lines should address itself is that how this is being perceived by the people, by the citizens of the country in whose name we are conducting all our activities. That is the essence. Everyone of us here is sworn in by the Constitution. The Constitution is supposed to administer, to govern and to conduct the activities of the nation. Thus is a week's time from now, we will be observing the 50th anniversary of our Independence. We will be introspecting as to how we have gone about during these 50 years. Therefore, at this hisotrical juncture, it has become very important for us to introspect ourselves. To make allegations and to make counter-allegations we may mention many arguments from the law books, buy the point is whether out arguments or counter-arguments are convincing our fellow citizens who are sitting outside and who are watching us. That is the whole question.

Mr. Vice-Chairman, Sir, we think that the major phase of the contemporary politics today is there is a crisis of credibility in our political system. I am not blaming one party or the other, but unless we detach ourselves from the process and try to introspect and try to rectify ourselves. I think this may sound cynical. But we should not think that the parliamentary system in the country can be taken for granted. I agree with Mr. Som Pal that it is the greatest system. But frequent abuse and misuse may render it useless. Therefore, we should look at how we are using the Constitutional provisions that are provided. Mr. Vice-Chairman, Sir, I put this question. Why is it that parties like the Left who were supporting Mr. Yadav earlier in the days when he was being made to face the worst political criticism on the grounds of his stand on social justice and communalism, are forced to raise certain moral questions? I accept Mr. Ahluwalia's logic-unless he is fainally proved guilty, it has to be accepted that

he is innocent. But, at the same time, the question of dignity of office is there. That his staying in power was untenable was proved by his own action. I want to put this question to those who are defending his action of staying in power, continuing in power, for the last two or three months, against the sentiments, against the wishes, of the generally democratic-minded people. Would not the office of Chief Minister of Bihar have been elevated in the eyes of the people and he resigned ealvated in the eyes of the people had he resigned ealrier? If charges are made on the floor of the Hosue today about the CBI or the court, if they are valid, could not all these things be defended in the court? Will it not be defended in the court? That, he will have to continue andtry to defend himself in the court, in legal proceedings. Then, why do we deny the office of Chief Minister the dignity that it deserves? This is the basic point. We want to cleanse the political process, we want to unite the people, we wnat to unite the nation on certain issues and we want to change the situation. that is the contention which is made by our friends. But the point is, charges are being made, not being able to defend him. What kind of signals are we sending to the people? We do not want any certificate from Satishji. It is him magnanmity that he has given such certificates. But our approach to this issue is entirely different. If we talk of not maintaining double-standards, then, I think the BJP does not really have the moral authority to talk about the Constitutional propriety. We have seen it. Assurances have been given in Parliament assurances have been given in court assurances have been given in the National Intergration Council. and they have been violated with impunity. If we share teal we do it in the fitness of parliamentary traditions. that has nothing to do with our political diffenences. But the point is whether all the parties will come together to address themselves to these issues. Then there is the question of corruption. The Constitution is being quoted. The law is being quoted. Now, it is true that we are updating many laws that we are having.

SHRI SOM PAL: Sir, our hon. friend is referring to standards and double standards, both. They were demanding the resignation of Laloo prasad, and by this logic, they demanded the RJD to be kept out of the United Front openly. Now, the President of the JD has been formally charge-framed by the court. Would my friends not demand the JD being out of the United Front Government? Is it not double standards? That is what I wnat to know. (*Interruptionsr)*

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu) There are only two standards-double standard and sub-standards. (*Interruptionr)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Dr. Biplab Dasgupta, Mr. Som Pal and his say because Mr. Nilotpal Basu Yielded to him.

SHIR NILOTPAL BASU: Sir, Som Pal would be knowing better that we have a democratic party and we conduct our business in a very transparent manner. Our attitude about the points made about the Janata Dal President is well-known. It has been published in all the major newspapers. You can go through the newspapers. I don't want to waste my time on that. Now, a question comes if the C.B.I. has done anything wrong (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATORVEDI: Mr. Nilotpal Basu, I wnat to see your face. But you always face Som Pal Ji.

SHRI NILOTPAL BASU: If the C.B.I. has committed a mistake, if the courts have done a mistake (*Interruptions*)

SHRI SATISH AGARWAL: You can refer to a question from a Member who belongs to some definite party. Mr. Som Pal, *de Jure,* you are J.D. *De facto,* you are R.J.D. L Now, pleasse clarify to which party you belong.

SHRI SOM PAL: Sir, I am an aggrieved person placing the issue before you for your indulgence.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Let Nilotpal Basu wind up now. He has raised many issues.

SHRI NILOTPAL BASU: Now what do we gain from hearing about the issue of judicial activism, day in and day out? There are certain self-appointed crusaders against the Judiciary. Now, the point is, in the country, in the Parliamentry system of Democracy, we have three wings-the Executive, the Judiciary and the Legislature. Now, the point is, how have seen in this House how legitimate rights of legislation were curtailed. I will give one example. The Chair had given a direction to the former Petroleum Minister to give a list of those people who have been the beneficiaries of allotment of pertol pumps. It was not laid on the Table of the Hosue. It was somehow manged. But when the court directed the same Minister, within seven days, the same political Executive had gone to the court and produced the entire list. Time and again we have seen on a number of issues which should have been the legitimate and exclusive prerogative of the Executive to decide or the Legislature to discuss, the Executive or the Legislature have not addressed themselves to those issues. Now naturally, nothing can remain like that. The residual powers will be assumed by somebody. There may be elements of truth in the allegation that some transgression is there. The point is that the legislature, the political parties and the political process have to restroe the credibility of the position which we are claiming, which we are taking, in the eyes of the people. My point is this. How did Mr. Seshan become a hero in the eyes of the people?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Now the point is that you come to the point of winding up. Your time is over.

SHRI NILOTPAL BASU: So, our point is clear that while we do not disagree that the CBI's seeking military assistance was not correct, the overall situation that is developing in Bihar is no good. Who got elected whom is a Constitutional aspect. But the whole question comes up again. Certain political traditions were being opposed. Certain statements were made earlier, our dynastic rule all that. Out of the 136 or 137 people, we make a Ministry of 71 people. Is it a great commentary on the kind of political system that we are running in this country? What is the impression of the people in this country? What is the impression of the people in this country about all that- One has to ponder about it. This kind of a situation, we think, Mr. Vice-Chairman, is a very serious situation. Therefore, the Central Government should take note of it. We are not supporting the imposition of article 356 at this stage. But it the same time, we cannot support the open attacks on opponents, the attempt to stifle democratic opinion, the methods that are continuing in Bihar, the kind of violence that is taking place and some of the incidents that had taken place on the *bandh* day and all that. The Central Government has every responsibility to ensure the basic fundamental rights that are enshrined in the Constitution. Those should be available to the people. The people should be able to exercise those legitimate forms of protest. That kind of a situation has to be there. Otherwise, we cannot make any headway in this critical juncture of the history of the nation. I think the parties are not taking any position here. Nobody is saying that you go beyond the Constitutional provisions. The point is that some open kind of political inducements are being given. We can refer to the stand which was taken by the former Chief Minister on the earlier confidence motion. Some kind of inducements were given to the Jharkhand Mukti Morcha. What kind of political standards or political morality have we set? We have heard the Congress party members' speeches. On the one hand,

they say, "We don't want to support corruption. We don't support this." On the other hand, they allow the continuation of this kind of a political mockery. We don't accept that. Therefore, our position is very clear that the Central Government will have to be very watchful about the situation. So far as the point that the CBI contacting the military ios concerned, we support that part of the statement. As far as the allegations, which are coming up that the State Government officials took a partisan stand in discharging the court orders and all that are concerned, those things will have to be gone into. With these words I conclude my speech. Think you.

SHRI R.K. KUMAR Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset I would like to express my anguish over the loss of two whole days at the start of the session. We all assembled here on 23rd July. For two whole days there was total chaos in the Hose to discuss the chaos in Maharashtra and Bihar. Sir, an experienced Parliamentarian told me that after six years in Rajya Sabha you wil become useless for anything. The reason is this. If we have to put a question, there is a lottery system. It can come in the first place, second place or third place. So far as Speical Mentions are concerned, it depends upon the Chairman whether he gives permission or not. If we have to speak on a Bill, it depends upon our party's time and also how many Members want to speak. So we get very little time to express our view on various issues. So far as these two issues are concerned, we could have discussed them in a better manner. This issue was raised on 23rd July and we are discussing it on 5th August. In 14 days the situation has totally changed in Bihar.

Now I come to Bihar. Sir, the problem appears to be three fold. Firstly, lawlessness. Secondly, political chaos and thirdly, corruption. So far as law and order is concerned, with due respect, it has never been a plus point for Bihar. Sir, I am talking from my personal experience. I used to go to Bihar once in fifteen days for three years as I was associated professionally with a big project of my friends and hon.

Colleague, Shri Shatrughan Sinha. मै उनको द्रोणाचार्य मानता हूं।

I have seen with my own eyes day light shooting. I was daily seeing some procession or the other in Patna bringing life to a halt.

So far as corruption is concerned, this is not a special phenomenon for Bihar. there has been corruption—I am not trying to justifiy corruption at any level—from times immemorial. Now we all talk of corruption at various levels because of the so called judicial activism.

Sir, I would like to bring to the notice of the House a very interesting case. It is reported in the 63rd Income-Tax Reports. It is a case of Coimbatore-Salem Bus Transport Co. which came up in the Madras High Court. This Company claimed as allowable deduction the Mamool paid to the traffic policeman. There was no voucher. Obviously, there will be no voucher. This expenditure was disallowed and the matter went to the High Court. The observation of the High court in this Case was: "The wheels of business do not move unless you grease the palm and more so in the bus business". The Court observe. "what is the relevance is the reasonableness of the expenditure and the nature of the business?" Corruption has been there for times immemorial. *(Interruptions).* I am not trying to justify corruption.

So far as Bhiar is concerned, the major scam that is now being talked about all over India is the fodder scam. We all know about it. The officers of the Department of Animal Husbandry *prima facie* have withdrawn huge sums of money through bogus bills for alleged purchase of fodder for animals. Now what kind of involvement of political masters there was, we do not know. It is for the court to decide. Allegedly there has been some political support to these

corrupt officers. Whether these officers contributed a part of the loot to the political masters, we do not know. Assuming that a Minister or a Chief Minister—I am not trying to defend anybody—has given promotion to somebody or has stopped the transfer of somebody. It can be done under three circumstances. One, for a *Guid pro quo* by receiving a small or big portion of the loot. Two, due to negligence which is incompetence and three, due to misjudgement. We do not know in what category the case of the former Chief Minister of Bihar falls we do not know about it. It is for the court to decide. The question is—as Mr. Basu rightly stated—of 'the dignity of officer.' Why did he not resign when allegations were made? Why did he knock the doors of the Supreme Court? Bihar is stated to be the second most populous State. But what is happening in the first populous State? When one party loses power, another party comes to power and all the Opposition Members are branded as criminals. Some case or the other is foisted against them. When the present party which is in power goes and the other party comes to power, they will brand other Members as criminals. So, the branding of political opponents as criminals as corrupt has become the order of the day. Merely by filing a charge-sheet nothing is established. An innocent person who is holding a public office, when an allegation is made, he will not have the confidence to go to court. Even if I am innocent, I hesitate to go before a court because I know judicial activism ends with the filing of the charge-sheet. Till then there is a lot of publicity. Take the average number of years taken to conclude a criminal case. Three to four officials of Punjab and Sind Bank were charged with corruption 14 years ago and they were acquitted three days back. For 14 years their lives were ruined.

Why does a public servant or a political leader or anybody else hesitate to go to court? They hesitate because they are not sure that justice will be done to them in a short time-frame. There is enormous judicial delay. We talk of economic reforms, we talk of administrative reforms, but unless there is judicial reform, this will go on. I talk from personal knowledge. In Singapore, criminal cases, including all appeals, are concluded within nine months. A man is either acquitted or found quilty and sent to prison. In sush a situation, an innocent man will definitely resign and say, "Okay, it is after all a question of nine months, I will face the court and come back." But that is not the case here. I think we should all concentrate on judicial reforms. At least, in criminal cases, justice should be meted out quickly. As regards the system of reporting judicial cases, earlier, newspapers used to have reporters in the court. These people reported whenever a case came up before the court or when some proceedings took place. Now we have a very strange phenomenon. The Enforcement Directorate, the CBI and other investigating agencies have a full-fledged publicity department. Is it their job to give publicity to whatever they are investigating into? Why should there be publicity? What have we achieved by doing all this? The former Chief Minister was sought to be arrested. It was said that if he was not arrested, he could tamper with the evidence or he could influence the witnesses or he could abscond. The question of absconding does not arise here. But as regards tampering of evidence or influencing the witnesses, what have you achieved? He has made his wife the Chief Minister. She has been elected Chief Minister by the elected MLAs. But unless he wanted it, no MLA would have elected her as the Chief Minister. By doing all this we have pushed him to a corner. Till now he was accountable not only for his past actions but also for his present actions. By pushing him to a corner, we have given him powers without responsibility and this was not intended. As regards seeking Army help, there were some reports in the newspapers and hon. Member, shri

Som Pal, referred to them. I have gone through them. The Joint Director says, "We have done nothing. It is the court which gave the orders." That is very strange. It was not the High court Judge who went to the CBI at 5 AM. It was the other way round. It was the CBI official who went to the High Court judge and took a verbal order seeking military help. This needs to be clarified by the Home Minister. In conclusion, I would like to say that we should go in for judicial reforms and see that justice is meted out quickly so that innocent people have the confidence to face the court and get acquitted.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): श्री जलालुदीन अंसारी। श्री अंसारी साहब अभी नहीं है। श्री जनार्दन यादव आप बोलिये। आपका टाइम सिर्फ पांच मिनट का है।

श्री जनार्दन यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसी की ओर सरकार और इस सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सतीश जी ने बिहार के अतीत के बारे में चर्चा की है। माननीय अहलुवालिया साहब ने भी समर्थन किया है कि बिहार का अतीत बहुत उज्जवल रहा है लेकिन बिहार का वर्तमान बहुत अंधकारपूर्ण है। जिस बिहार में राजेन्द्र बाबू पैदा हुये उस बिहार ने नटवर लाल भी पैदा हुआ,यह सबको मालूम नहीं है। नटवर लाल दुनिया का एक मशहूर ठग है और उसका भी जन्म छपरा में हुआ जहां राजेन्द्र बाबू का जन्म हुआ था और पूर्व मुख्य मंत्री का जन्म भी छपरा में हुआ है। लालू प्रसाद यादव यानी कि पूर्व मुख्य मंत्री के बारे में नैतिकता का सवाल लोगों ने बहुत जोरों से उठाया कि नैतिकता के आधार पर उनको त्याग-पत्र दे देना चाहिये लेकिन पूर्व मुख्य मंत्री से नैतिकता के बारे में चर्चा करना यह अन्याय है। मुझे याद है कि 10 मार्च, 1990 को जब लालू यादव जी ने बिहार के मुख्य मंत्री पद की शपथ जय प्रकाश जी की मूर्ति के सामने ग्रहण की तो उंहोंने कहा था कि एक पैसा घूस लेना मेरे लिये गाय के खून के बराबर होगा। जो मुख्य मंत्री जी॰पी॰ की मूर्ति के सामने शपथ लेता है, जो व्यक्ति जे॰पी॰ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में से उभरकर नेता बनता है और जब वह मुख्य मंत्री बन जाता है तो भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़ देता है, उससे नैतिकता की बात करना समय की बर्बादी है। जब उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई तो उन्होंने कहा कि हम जेल में रहकर के शासन करेंगे। सचमुच में जो उन्होंने कहा आज वह हो रहा है वह जेल में बैठकर आज बिहार का शासन चला रहे हैं। उन्होंने जो कहा है वह किया है। वर्ष 1994 में विधान सभा के अंदर जब विधायकों ने यह प्रश्न उठाया था कि बिहार में भ्रष्टाचार जोरों से बढ़ रहा है, कांग्रेस के विधायक ने कहा था जो आज इस सदन के सदस्य हैं तो लालू जी ने वहां पर कहा था जितना आप लूटे हैं, उतना ही लूटकर ही बंद कर रहे। बिहार में भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही बिहार में भ्रष्टाचार लाई है, यह चारा घोटाला लाई है। 1990 में जब लालू यादव मुख्य मंत्री बने और राम जीवन सिंह कृषि मंत्री बने और उस समय पशु-पालन विभाग की फाइलें उनके सामने प्रस्तुत हुई थीं तो उस समय 30 करोड़ का घोटाला था और उस समय मुख्य मंत्री कांग्रेस के माननीय जगन्नाथ मिश्र जी थे। इसलिये बिहार में भ्रष्टाचार कोई सात वर्षों में नहीं आया है। भ्रष्टाचार की सड़क कांग्रेस के द्वारा बनी थी। अन्य राज्यो में तो विकास करने के लिये इनफ्रास्ट्रक्चर बनता है लेकिन बिहार में इनफ्रस्ट्राक्टर भ्रष्टाचार करने के लिये बना था। इसी इनफ्रस्ट्राक्चर पर लालू जी दोड़ गये। कहीं तो आबंटन से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत लिया जाता था लेकिन लालू यादन के समय में आबंटन में से ढाई सौ गुना ज्यादा निकाला गया।

और पैसा निकालकर पशुपालकों के लिये, पशुओं के लिये, चारे के लिये अगर खर्चा किया जाता तो मैं सहमत था। पैसा निकाला गया चारा खरीदने के लिये, चारा खरीदा नहीं गया। ...**(व्यवधान)** पैसा निकाला गया दवा के लिये...**(व्यवधान)** खरीदी ही नहीं गई....**(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आज की चर्चा का विषय फोडर स्कैम है क्या?

श्री जनार्दन यादव: जी, फोडर स्कैम है, भ्रष्टाचार और फोडर स्कैम...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): यह मामला तो कोर्ट में है। मैंने उनको कह दिया है। बैठ जाइए।

श्री जनार्दन यादव: उपसभाध्यक्ष जी, जो ढाई सौ गुना आबंटन से अधिक निकाला गया यह किसके लिये निकाला गया? अभी हमारे वामपंथी सांसद बोल रहे थे...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: मामला न्यायालय में गया है।...**(व्यवधान)**

श्री जनार्दन यादव: सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाना चाहते हैं...**(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: यह मामला तो न्यायालय में पेंडिंग है।

श्री जनार्दन यादव: यह सोशल जस्टिस है कि समाज में जो कमजोर है, दलित है उसको न्याय मिलना चाहिये। लेकिन यह पशु चारा, यह दवा किन वर्गों के लिये आई थी? यह उन्हीं वर्गों के लिये बिहार में आई थी जो मवेशी पालते हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, सूअर पालते हैं। अहलुवालिया जी ने मुसाहर का नाम लिया है। हमारे यहां बिहार में मुसाहर जाति होती है, उनके बच्चों को स्नान कराने का, बाल कटाने का, साबुन लाने का, शैम्पू लगाने का, काम करती है लेकिन उस बिहार में दो वर्ग हैं, दो ही जातियां हैं जो सूअर का पालन करती है—एक मुसाहर करती है दूसरे मेहतर करते हैं और आदिवासी करते हैं। ये सब सामाजिक न्याय के अंदर आते हैं। दलित और ओबीसी और ये पशु उनके आर्थिक उत्थान के लिये थे। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के नाम पर वोट तो ले लिये लेकिन वोट लेने के बाद सामाजिक न्याय के अंदर आने वाले जो दलित, शोषित, पीड़ित हैं उन्हीं का हिस्सा खाया। दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी राजतंत्र में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो जनता की गाढ़ी कमाई का रखवाला है, जो खजाने का मालिक है वह स्वयं खजाना लूट ले। किसी भी लोकतंत्र में आपने यह देखा नहीं होगा।...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): समाप्त करिये।

श्री जनार्दन यादव: बिहार में भ्रष्टाचार करने वाले लोग सीना तानकर चल रहे हैं, इसका क्या कारण है? कारण यह है कि केन्द्र में बैठी हुई सरकार उन भ्रष्टाचारियों को बचाने में मदद कर रही है। कल माननीय देवगौड़ा जी का स्टेटमेंन मैंने पढ़ा कि बिहार में जंगल राज है, बिहार की सरकार को समाप्त कर देना चाहिए। इसी सदन में बिहार के भ्रष्टाचार और बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में अनेक बार चर्चा हुई जिस समय माननीय देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे उसी समय बिहार में एक आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं था। उस लड़की का नाम दीपा मुरमुर था, जिला जमुही की है। उसके साथ लखीमपुर के बीडीओ ने और जमुही जिले के अन्य अधिकारी ने बलात्कार किया।

एक माननीय सदस्य: राजस्थान में क्या हुआ...**(व्यवधान)**

श्री जनार्दन यादव: उन्हीं के राज में भूखली देवी समस्तीपुर की जो कि हरिजन महिला थी उसको नंगा करके घुमाया गया। उसी बिहार में पलामू जिले में निशा खातून, मां-बेटी दोनों का एक साथ बलात्कार किया गया। क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का यह ग्राउन्ड नहीं हो सकता? सात वर्षों के अंदर बिहार में 35 हजार लोगों की हत्या हुई। क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये आधार नहीं बन सकता? बिहार में आर्थिक दिवालियापन है। बिहार में कर्मचारी से ले कर ऊपर के लोगों को दरमाह नहीं मिलता है। सात वर्षों में विकास का कोई काम नहीं हुआ। बिहार के पास कोई पैसा नहीं है। क्या आर्थिक दिवालियापन के आधार पर जो भारतीय संविधान में धारा 360 है, उसको लागू नहीं किया जा सकता? बिहार में आर्थिक दिवालियापन, कांस्टीट्यूशन ब्रेकडाऊन, ला एंड आर्डर ब्रेकडाउन, तब भी धारा 356 लागू करने का समय ही नहीं आया है। यह कब समय आएगा? आज की जो सरकार बनी है, इसके बारे में मुझे बहुत चर्चा नहीं करनी है क्योंकि पांच-सात दिन की सरकार है लेकिन यह धारा 356 और धारा 360 लागू करने का पहले समय था, क्यों नहीं लागू किया गया? गुजराल जी प्रधानमंत्री हैं। बिहार के राज्य सभा के सांसद है।*

श्री नरेश यादव: बिलकुल गलत बात है। ...**(व्यवधान)**

श्री जनार्दन यादव: पटना से यह अमृत वर्षा अखबार है। इसमें छपा है।*

यह संभव ही नहीं है।...**(व्यवधान)** महाभारत के समय में भी ...**(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: प्वाइंट आफ आर्डर **(व्यवधान)** यह गलत बात है। **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You cannot make allegations against the Primie Minister or any other Minister without notice. *(Interruptions)*

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम): देश के उपप्रधानमंत्री पर जो आरोप लगा रहे हैं, nothing should go on record.

THE VICE/CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You should have sought the permission of the

*Expunged as ordered by the Chair.

Chair earlier. You cannot make these allegations. *(Interruptions)* All references to the Prime Minister should be deleted. *(Interruptions)*

श्री जर्नादन यादव: जांच करा लीजिये **(व्यवधान)** अखबार में निकला है, जांच करवा लीजिये **(व्यवधान)**

श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम: नोटिस दीजिए **(व्यवधान)** किसी अखबार ने छाप दिया और आपने कह दिया... **(व्यवधान)**

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: It should be deleted, Sir. It should not go on record. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I have already said that. It will be deleted. *(Interruptions)* Yadavji, Singhaji, please sit down. *(Interruptions)* All allegations made against the Prime Minister stand deleted. एक मिनट में आप समाप्त कीजिए।

श्री जनार्दन यादव: इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार को बताना चाहता हूं कि लालू यादव जी सरेंडर कर के जेल चले गये। इसी देश में सुश्री जय ललिता भी मुख्य मंत्री थी। पिछले साल उनको गिरफ्तार किया गया था और सेंट्रल जेल में रखा गया था बिना चादर और बिना कम्बल के। क्या उनके लिए अलग जेल नहीं बनाई जा सकती थी? लालू यादव को अलग जेल में रखना इस पशु पालन घोटाले का जो केस चल रहा है, उसकी गवाही को टेंपर करना है।... **(व्यवधान)**

श्री ईश दत्त यादव: (उत्तर प्रदेश): आडवाणी जी को कहां रखा गया था? **(व्यवधान)**

उपसभापति (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): ईश दत्त जी आप बैठ जाइये।

श्री जनार्दन यादव: आपके भी नेता पर चार्जशीर्ट है जो केन्द्र में मंत्री है **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI) It is not Yadav versus Yadav. *(Interruptions)*

श्री रामदास अग्रवाल: आडवाणीजी और लालू प्रसाद यादव को एक श्रेणी में नहीं रख सकते हैं **(व्यवधान)**

श्री जर्नादन यादव: मीडिया आग्रह करता रहा कि बिहार के मुख्य मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिये लेकिन नहीं दिया।... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जनार्दन यादव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जर्नादन यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में जो वर्तमान सरकार बनी है, गृह मंत्री जी उसकी लिस्ट मंगा लें उसमें 7 ऐसे मंत्री बने हैं जिस पर एक केस नहीं, दो केस नहीं, तीन केस नहीं, चार केस नहीं, दर्जनों केस हैं मर्डर का, हत्या का, राॅबरी का डकैती का और बलात्कार का। बिहार सरकार को बर्खास्त करने के लिए क्या यह आधार नहीं बन सकता? ..**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप समाप्त कीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री जनार्दन यादव: पूरी बात होने पर फिर आप बोलिएगा।...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अंतिम बात कहना चाहता हूं कि पशुपालन घोटाले में लालू यादव जी के साथ-साथ कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री हैं और मैं सी॰बी॰आई॰ को भगवान नहीं मानता...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब आप समाप्त करिए।

श्री जनार्दन यादव: जगन्नाथ जी का बेल जब हाई कोर्ट ने दे दिया तो उसके खिलाफ सी॰बी॰आई॰ को सुप्रीम कोर्ट में कैंसलेशन के लिए जाना चाहिए था। नहीं गया। इसलिए बिहार के आम लोगों की शंका सी॰बी॰आई॰ के ऊपर जाती है, इसका भी जवाब मुझे चाहिए। धन्यवाद।

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार की यह जो अभी मौजूदा स्थिति है उस पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि यह चर्चा पहले होनी चाहिए थी लेकिन बढ़ाते-बढ़ाते आज इसका शुभ दिन आया है। मेरी समझ है कि लालू प्रसाद जी के आत्म समर्पण करने और उनके न्यायिक हिरासत में चले जाने से बिहार में जो व्याप्त स्थिति है वह समाप्त हो गई है मैं ऐसा नहीं मानता। लालू प्रसाद जी की गिरफ्तारी न वहां की राज्य सरकार ने की और न केन्द्र सरकार के निर्देश पर हुई। यह सर्वविदित है और सभी जानते है कि कोर्ट के जरिए सी॰बी॰आई॰ को यह इन्क्वायरी दी गई और पटना हाई कोर्ट से ले करके सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रक्रिया के बाद लालू प्रसाद जी आज न्यायिक हिरासत

में हैं। मैं चारा घोटाले की चर्चा करना नहीं चाहता, वह कोर्ट का मामला है। कोर्ट उस पर निर्णय लेगी। तथ्यों के अधार पर जो भी निर्णय करना होगा वह कोर्ट को करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम तमाम राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए कि एक प्रदेश के मुख्य मंत्री को जेल जाना पड़े यह हिन्दूस्तान के संसदीय जनतंत्र के 50 साल के इतिहास में किसी के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती है बल्कि यह बहुत ही दुखद और गंभीर बात है और लोग कहने लगे हैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, जो हम राजनीति कर रहे हैं, आम जनता हम लोगों के बारे में क्या कहती है? ट्रेन में, बस में, आम जगहों पर कि यह राजनीति करने वाले चोर है। इससे शर्मनाक बात हम लोगों के लिए जो राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता अपने हैं उनके लिए इससे दुखद बात और कोई नहीं हो सकती है और अपने देश का संसदीय जनतंत्र का इतिहास सिर्फ 50 साल का है जो हम स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं। विषय यह नहीं है कि लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद जी के परिवार से हमको कोई दुश्मनी है या कोई झगड़ा है। कतई नहीं। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पांच साल तक उनकी सरकार का हम लोगों ने बेशर्त समर्थन किया था इसलिए कि उन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय देंगे, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखेंगे और संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ? एक के बाद एक घोटाला, चारा घोटाला, दवा घोटाला, वर्दी घोटाला, जमीन घोटाला और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर सरकार के जितने भी विभाग हैं, वह आवंटित राशि से एक्ससेस निकासी करते हैं। बिहार की यह स्थिति है और स्थिति यहां तक है कि यूनिवर्सिटी, कालेजों के प्रोफेसर्स को, अध्यापकों को, कर्मचारियों को तीन-तीन महीने से लेकर छह छह महीने तक वेतन का भुगतान नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी कारपोरेशन हैं, नगर निगम हैं, जहां सबसे अधिक दलित काम करते हैं, सफाई कर्मचारी, उनको 9 महीना, 10 महीना से लेकर 26 महीना तक का दरमाह तनखा नहीं दिया जाता। यह है बिहार की स्थिति।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि बिहार की स्थिति क्या है बिहार की स्थिति यह नहीं है कि लालू जी को जेल में बंद कर दिया गया और वहां की स्थिति खतम हो गई। राबड़ी जी से भी हमारा कुछ लेना-देना नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। महिला बनी है मुख्यमंत्री, खुशी की बात है। हम लोग तो महिला के 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए रोज हल्ला कर रहे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार बिल ही नहीं लाती है। आज कुछ लोग महिला के बड़े प्रशंसक बने हुए हैं, लेकिन अंदर से प्रशंसक नहीं हैं, जुबां से प्रशंसा करते हैं। राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग भी जानते हैं, कि उन्हें बहुमत कैसे प्राप्त हुआ उनकी संख्या भी आपको मालूम है निर्दलीय को मिलाकर और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन गुट है, जो पूरे देश में और विश्व में ख्याति हासिल कर चुका है कि दिल्ली में जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी की सरकार को बचाना था तो कैसे बचाया उन्होंने। उनके कारनामें उजागर हैं पूरे देश में।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अलग झारखंड राज्य की मांग हमारी पार्टी वर्षों से कर रही थी, लेकिन जब अलग राज्य की बात आती थी तो श्री लालू प्रसाद यादव कहते थे कि झारखंड राज्य की स्थापना उनकी लाश पर होगी। क्या यह बात असत्य है? सच्चाई है यह नहीं अब जब उनको अपनी सरकार बचाने का हुआ तो उन्होंने विधानसभा में अलग झारखंड राज्य का प्रस्ताव पास करा दिया और क्या किया, कि जो कमेटी बनाई गई थी झारखंड क्षेत्रीय समिति, उसका वह चुनाव नहीं करा सके, लेकिन उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सूरज मंडल उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं शिब्बू सोरेन, उनको मुख्यमंत्री का दर्जा या उप-मुख्यमंत्री का दर्जा और सूरज मंडल को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। इसको आप क्या कहेंगे? यह राजनैतिक भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? यह पोलिटिक्ल करप्शन है, सौ फीसदी राजनैतिक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं होता, राजनैतिक भ्रष्टाचार भी अपने देश में चल रहा है। यह मैं आपको भरे हुए दिल से कहना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**...

आपकी पार्टी ने समर्थन नहीं किया, हम लोग उसके लिए लड़ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि 4 करोड़ उत्तर बिहार और मध्य बिहार की जनता 2 करोड़ दक्षिण बिहार की जनता के खिलाफ लड़ेगी। मैं सर्वदलीय बैठक में था उस समय। मैंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, इससे हटकर कुछ इस तरह की बात करें और जब आप सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं तो आम सहमति बनाने के लिए बुलाई थी। एक दिन पहले ही इस तरह का बयान क्यों दिया? इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। यह स्थिति है बिहार राज्य की। वहां विधि और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। गृहमंत्री जी भी जानते हैं, केन्द्र सरकार भी जानती है,

लेकिन इनकी मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। मैं इनकी मजबूरी से हमदर्दी रखता हूं। और मैं भी उस मजबूरी को जानता हूं..(**व्यवधान**)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): मजबूरी बता दीजिए न।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वह गृह मंत्री जी खुद बता देंगे, अंसारी जी, आप अपनी बात कहिए।

श्री रामदास अग्रवाल: देश आपका कृतज्ञ होगा, यदि आप वह मजबूरी बता दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अंसारी जी को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री जलालुदीन अंसारी: बिहार में विधि-व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और पिछले सात साल में बिहार के अंदर, मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि पिछले सात साल के राज्य में बिहार में कितने दलितों की हत्या हुई, कितने पिछड़ों की हत्या हुई, कितने नरसंहार हुए जिसमें पिछड़े और दलित मारे गए इसकी भी सूची आप सदन को दें, तब पता चलेगा कि बिहार में पिछड़ों का राज चला रहे थे, उनको सामाजिक न्याय दे रहे थे या क्या कर रहे थे? हमारे कांग्रेस के भाई कहते हैं कि भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक सम्प्रदायवाद है और सम्प्रदायवाद से लड़ना जरूरी है।

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: दोनों को खतरनाक कहा है हमने।

श्री जलालुदीन अंसारी: आप सम्प्रदायवाद से नहीं लड़ सकते। लड़ने की आपकी जो प्रतिबद्धता थी, वह समाप्त हो गई है और हिन्दुस्तान की जनता..(**व्यवधान**)..

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: आपको तभी बैठाया है राज करने के लिए क्योंकि हम लड़ना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): सिंगला जी, बैठ जाइए। आपकी तरफ से मीणा जी बोलेंगे।

श्री जलालुदीन अंसारी: 1989 के भागलपुर के दंगे के वक्त आपकी सरकार थी ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): हंसारी जी, आप चेयर को ऐडरेस करिए और समाप्त करिए।

श्री जलालुदीन अंसारी: जब 1989 में भागलपुर में वहां दंगे हुए तो उस समय आपकी सरकार वहां थी और पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी गए थे और दो करोड़ रुपए देकर आए थे उस दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए और सहायता के लिए। आपकी सरकार ने कितना रुपया खर्च किया और जो बचा तो लालू प्रसाद ने भी उनकी मदद नहीं की और मेरी जानकारी में 195 ऐसे मामले हैं जिनको आज तक न मुआवजा दिया गया और जो घर-बार छोड़कर बेदखल हो गए, उनका पुनर्वास भी नहीं किया गया आपका सम्प्रदायवाद से लड़ने का यही तरीका है? इसका दूसरा उदाहरण है 6 दिसम्बर, 1992 का..(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अभी बिहार पर चर्चा चल रही है, आप उसी पर रहे।

श्री जलालुदीन अंसारी: उदाहरण दे रहा हूं सम्प्रदायवाद के खिलाफ इनके लड़ने का। आपके तत्कालीन प्रधान मंत्री दिल्ली में बैठे रहे और मस्जिद को तोड़ दिया गया। यही आपका सम्प्रदायवाद से लड़ने का तरीका है? आपके सब तरीके हिन्दुस्तान की जनता जानती है। जो भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेगा वह सम्प्रदायवाद से भी नहीं लड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब आप समाप्त कीजिए 3 मिनट की जगह 6 मिनट से भी ज्यादा का समय हो चुका है।

श्री जलालुदीन अंसारी: मैं केन्द्र सरकार से यह नहीं कहता कि बिहार में दफा 356 लागू कीजिए लेकिन मेरा कहना यह है कि बिहार में आर्थिक अराजकता है, शैक्षणिक अराजकता है, कानून और व्यवस्था नहीं है, तो संविधान की धारा 360 के तहत आर्थिक आपातकाल के तहत वहां आप कुछ नियंत्रण कर सकते हैं या नहीं, मैं गृह मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से यह जानना चाहता हूं?

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सी०बी०आई० के लोग कोई दूध के धुले नहीं हैं। जनसत्ता में और दूसरे अखबारों में रोज उनके अधिकारियों की गड़बड़ी के मामले छपते रहते हैं, लेकिन वे आर्मी किस स्थिति में बुला रहे थे, उनका बुलाना गलत था या नहीं था। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, आप इस बारे में जो उचित कार्रवाई कर सकें, करें। साथ-साथ बिहार के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं—एस०पी०, कलक्टर, मुख्य-सचिव, जितने भी ये बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन

के, वे अभी तक लालू प्रसाद यादव की बात मानते हैं चाहे वे जुडिशियल रिमांड में रह रहे हो यह भी सच है कि जिस दिन सी॰बी॰आई॰ के लोग रात में उनको खोज रहे थे, आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि उस दिन मुख्यमंत्री आवास में 2 बैठकें हुई। एक तो राबड़ी देवी ने बुलाई थी और रात में दूसरी मीटिंग लालू प्रसाद यादव ने बुलाई थी। अगर सारे समाचार गलत हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

महोदय, जिन अधिकारियों ने सी॰बी॰आई॰ को वारंट ऐक्जीक्यूट करने में सहयोग नहीं दिया, उनके फिलाफ आप कार्यवाही कीजिए, उनको दंडित कीजिए। हमारे मित्र श्री अहलुवालिया जी आजकल लालू जी के बड़े ही मददगार हो रहे हैं, कल तक तो वे खिलाफ बोलते थे। मालूम नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ कारण जरूर है। खैर, उन कारणों को आप और हम सब एक दिन देख लेंगे। वे कहते हैं कि जनहित याचिका को खत्म कर देना चाहिए। अरे,यही तो एक रास्ता बचा है इन मदान्ध भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। जनहित के प्रश्नों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट में जाकर इस तरह के कारनामों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पी॰आई॰एल॰ जो है, इस पर कोई अंकुश लगाने की बात मत कीजिए। अगर कोई गलत शिकायत करता है, तंग करता है तो कोर्ट उसको देखेगी। किसी को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए अनावश्यक रूप से कोर्ट में केस किया जाता है तो कोर्ट उसको देखेगी।

महोदय, मैं जुडिशियल ऐक्टीविज्म के पक्ष में नहीं हूं लेकिन जहां पर कार्यपालिका विफल हो जाए .वहां न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ेगी या नहीं? यह तो ऑटोमेटिक है। आज कार्यपालिका अपने दायित्व को नहीं निभा रही है। उसका परिणाम यह है कि कभी-कभी हमें जुडिशियरी में ऐक्टीविज्म बढ़ा हुआ दिखाई देता है।

महोदय, वैसे मैं हिंदुस्तानी हूं और पूरे देश की बात करता हूं लेकिन बिहार में जन्म लेने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि बिहार आज कहां पहुंच गया है? महोदय, 15 अगस्त, 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था तब बिहार हिंदुस्तान का चौथा पिछड़ा हुआ राज्य था और आज हम आजादी की 50वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। आज सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार हमारे देश का 14वां पिछड़ा हुआ राज्य है। यह है बिहार की तस्वीर और लोग कहते है कि बिहार पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इसलिए कि पूरे देश की 10 प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है। यह एक बड़ा प्रदेश है। वहां की जनता की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अवस्था बहुत ही दयनीय है। बिहार आज बेरोजगारी में सबसे आगे है, अशिक्षा में सबसे आगे हैं, गरीबी में सबसे आगे है। आप कहते हैं कि बिहार में स्थिति ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। आप जनता के कस्टोडियन हैं...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब आप समाप्त करें।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: वहां कोई घोटाला नहीं हुआ बल्कि मैं कहता हूं कि वहां' खजाने की लूट हुई है और खजाने की लूट बंद होनी चाहिए, सरकार से यह निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

†[شری جلال الدین انصاری "بہار" : آپ سبھا ادھیکشش مہودے - بہار کی یہ جو ابھی موجودہ استھتی ہے اس پر چرچہ ہو رہی ہے - میں سمجھتا ہوں کہ یہ چرچہ پہلے ہونی چاہیے تھی - لیکن بڑھاتے بڑھاتے آج اسکا شبھ دن آج آیا ہے - میری سمجھ ہے کہ لالو پرساد جی کے آتم سمرپن کرنے اور انکے نیایک حراست میں چلے جانے سے بہار میں جو ویاپت استھتی ہے وہ سماپت ہو گئی ہے - میں ایسا نہیں مانتا - لالو پرساد جی کی گرفتاری نہ وہاں کی راجیہ سرکار نے کی اور نہ کیندر سرکار کے نردیش پر ہوئی - یہ "سرو ودیت" ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ کورٹ کے ذریعہ سی۔بی۔آئی - کو یہ انکوائری دی گئی اور پٹنہ ہائی کورٹ سے لیکر کے سپریم کورٹ کے سارے پرکریہ کے بعد لالو پرساد جی آج نیایک حراست میں ہیں - میں

†[Transliteration in Arabic Script

چارہ گھوٹالے کی چرچہ نہیں کرنا چاہتا
وہ کورٹ کا معاملہ ہے - کورٹ اس پر
فیصلہ دے گی تتھیوں کے آدھار پر جو بھی
فیصلہ کرنا ہوگا وہ کورٹ کو کرنا چاہیے -
لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم تمام راج نیتی
کرنے والے تمام راجنیتک پارٹی کے نیتاؤں
کے لئے کہ ایک پردیش کا مکھیہ منتری - اسے
جیل جانا پڑے - یہ ہندوستان کے سنسدیہ
جن تنتر کے ۵۰ سال کے اتیہاس میں کسی
کے لئے خوشی کی بات نہیں ہو سکتی ہے -
بلکہ یہ بہت ہی دکھد اور گمبھیر بات ہے -
اور لوگ کہنے لگے ہیں - آپ سبھاادھیکش
مہودے جو ہم راج نیتی کر رہے ہیں عام
جنتا ہم لوگوں کے بارے میں کیا کہتی ہے -
ٹرین میں - بس میں - عام جگہوں پر
کہ یہ راج نیتی کرنے والے چور ہیں - اس
سے شرمناک بات ہم لوگوں کیلئے جو راج نیتی
کاریہ کرنا اور نیتا اپنے ہیں اس کے لئے اس
سے دکھد کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے -
اور اپنے دیش کا سنسدیہ جن تنتر کا
اتیہاس صرف ۵۰ سال کا ہے جو ہم "سورن
جینتی" منانے جا رہے ہیں - وشے یہ نہیں ہے
کہ لالو پرساد جی اور پرساد جی کے پریوار
سے ہمکو کوئی دشمنی ہے یا کوئی جھگڑا ہے -
قطعی نہیں ہے - میں بھارتیہ کمیونسٹ
پارٹی کی طرف سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں

کہ ۵۰ سال تک اتنی سرکار کا ہم لوگوں نے
بے شک سمرتھن کیا تھا اسلئے کہ انھوں نے
کہا تھا کہ بہار کے اندر پچھڑوں کو -
دلتوں کو - اپ سنکھیکوں کو سماجیک
نیائے دینگے سامپردائک سدبھاؤ قائم
رکھینگے اور سمپردائکوادی کے خلاف
لڑینگے لیکن کیا ہوا ایک کے بعد ایک
گھوٹالا - چارہ گھوٹالا - دوا گھوٹالا -
بھرتی گھوٹالا - زمین گھوٹالا اور میں
کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ بہار کے اندر سرکار
کے جتنے بھی وبھاگ ہیں وہ "آونٹیت
راشی سے ایکسس نکالی" کرتے ہیں -
بہار کی یہ اسوستھتی ہے اور اسوستھتی
یہاں تک ہے کہ یونیورسٹی - کالجوں
کے پروفیسرس کو - ادھیاپکوں کو -
کرمچاریوں کو تین تین مہینے سے لیکر
چھ چھ مہینے تک ہر ماہ تنخواہ کا بھگتان
نہیں ہوتا ہے اسکے علاوہ جتنے بھی کارپوریشنس
ہیں - نگر نگم ہیں - جہاں سب سے زیادہ
دلت کام کرتے ہیں - صفائی کرمچاری
ان کو ۹ مہینہ - دس مہینہ سے لیکر
۲۶ مہینہ تک کا ہر ماہ تنخواہ نہیں دیا
جاتا - یہ ہے بہار کی اسوستھتی ...
مہودے - میں سدن کے مادھیم سے -
آپ کے مادھیم سے کیندر سرکار اور
پورے دیش کی جنتا کو بتانا چاہتا ہوں

تو شری لالو پرساد کہتے تھے کہ جھارکھنڈ راجیہ کی استھاپنا انکی لاش پر ہوگی۔ کیا یہ بات جھوٹ ہے۔ سچائی ہے یہ۔ اب جب انکو اپنی سرکار بچانے کا موقع آیا تو انھوں نے ودھان سبھا میں الگ جھارکھنڈ راجیہ کا پرستاؤ پاس کر دیا۔ اور کیا کیا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی جھارکھنڈ اکشیتر کے سمیتی اسکا وہ چناؤ نہیں کر سکے لیکن اسکے ادھیکش اور اپادھیکش۔ سورج منڈل اپادھیکش ہیں اور ادھیکش ہیں شبو سورین انکو مکھیہ منتری کا درجہ اور سورج منڈل کو کیبنٹ منسٹر کا درجہ دے دیا۔ اسکو آپ کیا کہینگے۔ یہ راج نیتک بھرشٹاچار نہیں ہے تو کیا ہے۔ یہ پولیٹیکل کرپشن ہے۔ سو فیصدی راج نیتک بھرشٹاچار۔ بھرشٹاچار صرف آرتھک اکشیتر میں نہیں ہوتا۔ راج نیتک بھرشٹاچار بھی اپنے دیش میں چل رہا ہے۔ یہ میں آپکو بھرے ہوئے دل سے کہنا چاہتا ہوں۔ "مداخلت"۔۔

آپ کی پارٹی نے سمرتھن نہیں کیا۔ ہم لوگ اسکے لئے لڑ رہے تھے۔ انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چار کروڑ آندھرا اور مدھیہ بہار کی جنتا دو کروڑ۔ دکشن بہار کے خلاف لڑے گی۔ میں سرو دلیے کی بیٹھک میں تھا اسوقت۔ میں نے کہا تھا کہ آپ مکھیہ منتری کی کرسی پر ہیں۔ اس سے ہٹ کر کچھ اسطرح

کہ بہار کی حالت کیا ہے۔ بہار کی حالت یہ نہیں ہے کہ لالو جی کو جیل میں بند کر دیا گیا اور وہاں کی استھتی ختم ہو گئی۔ رابڑی جی سے بھی ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مہیلا بنی ہے مکھیہ منتری خوشی کی بات ہے۔ ہم لوگ تو مہیلا کے سو ۳۳ پرتی شت آرکشن کے لئے روز ہلا کر رہے ہیں۔ لیکن کیندر سرکار بل ہی نہیں لاتی ہے۔ آج کچھ لوگ مہیلا کے بڑے پرشنسک بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اندر سے پرشنسک نہیں ہیں۔ زبان سے پرشنسا کرتے ہیں۔ رابڑی دیوی جی مکھیہ منتری بنیں۔ لیکن میں آپکو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ انھیں بہومت کیسے حاصل ہوا۔ انکی تعداد بھی آپکو معلوم ہے۔ نرو دلیے کو ملا کر ایک جھارکھنڈ مکتی مورچہ سورین گٹ ہے جو پورے دیش میں اور وشو میں شہرت حاصل کر چکا ہے کہ دلی میں جب پورو پردھان منتری نرسمہا راؤ جی کی سرکار کو بچانا تھا تو کیسے بچایا انھوں نے۔ انکے کارنامے اجاگر ہیں پورے دیش میں۔

مہودے میں آپکو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک الگ جھارکھنڈ راجیہ کی مانگ ہماری پارٹی ورشوں سے کر رہی تھی۔ لیکن جب الگ راجیہ کی بات آتی تھی

کی بات کریں اور جب آپ سرودے کی بیٹھک بلائے ہیں تو عام سبھی بلانے کیلئے بلائی تھی۔ ایک دن پہلے ہی اسطرح کا بیان کیوں دیا۔ اسلئے میں اسمیں نہیں جانا چاہتا یہ تو یہ اسمتی ہے بہار راجیہ کی۔ وہاں ودھی اور ویوستھا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گرہ منتری جی بھی جانتے ہیں۔ کیندر سرکار بھی جانتی ہے۔ لیکن انکی مجبوری ہے کچھ کر نہیں سکتے۔ میں انکی مجبوری سے ہمدردی رکھتا ہوں اور میں بھی اس مجبوری کو جانتا ہوں... "مداخلت"...

شری وشنو کانت شاستری: مجبوری بتا دیجئے نا۔

اپ سبھا ادھیکش "شری تروی ناتھ چترویدی": وہ گرہ منتری جی خود بتا دینگے۔ انصاری جی آپ اپنی بات کہئے۔

شری رام داس اگروال: دیش کا کرتگئے ہوگا۔ یدی آپ وہ مجبوری بتا دیں۔

اپ سبھا ادھیکش: انصاری جی کو اپنی بات کہنے دیجئے۔

شری جلال الدین انصاری: بہار میں "ودھی ویوستھا" نام کی چیز نہیں ہے۔ اور پچھلے ۷ سال میں بہار کے اندر میں مانتا ہوں گرہ منتری جی سے کہوں گا کہ پچھلے ۷ سال کے راج میں بہار میں کتنے دلتوں کی ہتیا ہوئی۔ کتنے پچھڑوں کی ہتیا ہوئی۔ کتنے نرسنہار ہوئے جس میں پچھڑے اور دلت مارے گئے اسکی بھی سوچی آپ سدن کو دیں تب پتہ چلیگا کہ بہار میں پچھڑوں کا راج چلا رہے تھے۔ ان کو سماجیک نیائے دے رہے تھے یا کیا کر رہے تھے۔ ہمارے کانگریس کے بھائی کہتے ہیں کہ بھرشٹاچار سے زیادہ خطرناک سمپردائیواد ہے اور سمپردائیواد سے لڑنا ضروری ہے۔

شری سریندر کمار سنگلا: دونوں کو خطرناک کہا ہے ہم نے۔

شری جلال الدین انصاری: آپ سمپردائیواد سے نہیں لڑ سکتے۔ سمپردائیواد سے لڑنے کی آپکی جو پرتی بدھتا تھی وہ سماپت ہوگئی ہے اور ہندوستان کی جنتا... "مداخلت"...

شری سریندر کمار سنگلا: آپ کو تبھی بٹھایا ہے راج کرنے کیلئے۔ کیونکہ ہم لڑنا چاہتے ہیں۔

اپ سبھا ادھیکش: سنگلا جی بیٹھ جائیے۔ آپ کی طرف سے مینا جی بولینگے۔

شری جلال الدین انصاری: ۱۹۸۹ کے بھاگلپور کے دنگے کے وقت آپ کی سرکار تھی... "مداخلت"...

اپ سبھا ادھیکش: انصاری جی، آپ چیئر کو ایڈریس کریں۔ اور ختم کریں۔

شری جلال الدین انصاری: جب ۱۹۸۹ میں بھاگلپور میں وہاں دنگے ہوئے تھے اس وقت آپ کی حکومت وہاں تھی اور پورا پردھان منتری راجیو گاندھی گئے تھے اور دو کروڑ روپیہ دے کر آئے تھے۔ ان دنگا پیڑتوں کے پورا وہاں پر اور امداد کیا۔ آپ کی سرکار نے دو روپیہ خرچ کیا اور جو بچا تو ان کو امداد نہیں ملی اور میری جانکاری میں ۱۹۸۹ میں جو لیسٹ جاری آج تک معاوضہ نہیں دیا گیا اور جو مکان جلے تھے وہ بھی نہیں بنایا گیا۔ آپ کا سمپردائیکتا سے لڑنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کا معاوضہ ضروری ہے۔ ۱۹۹۷ میں ۰۰۰ "مداخلت" ۰۰۰

اپ سبھا ادھیکش "شری ترلوکی ناتھ چترویدی": ابھی بہار پر چرچہ چل رہی ہے۔ آپ اسی پر رہیں۔

شری جلال الدین انصاری: اداحرف دے رہا ہوں سمپردائیکتا کے خلاف لڑنے کا۔ آپ کے تنکالین پردھان منتری دلی میں بیٹھے رہے اور مسجد کو توڑ دیا گیا۔ یہی آپ کا سمپردائیکتا سے لڑنے کا طریقہ ہے۔ آپ کے سب طریقہ ہندوستان کی جنتا جانتی ہے جو بھرشٹاچار سے نہیں لڑے گا وہ سمپردائیکتا سے بھی نہیں لڑے گا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ کانگریس کے ممبروں سے کہنا چاہتا ہوں ۰۰۰ "مداخلت" ۰۰۰

اپ سبھا ادھیکش: اب آپ سماپت کیجیے۔ ۳ منٹ کی جگہ ۶ منٹ سے بھی زیادہ کا سمے ہو چکا ہے۔

شری جلال الدین انصاری: میں کیندر سرکار سے یہ نہیں کہتا کہ بہار میں دفعہ ۳۵۶ لاگو کیجیے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ بہار میں آئین ٹوٹ رہا ہے۔ شیکشنیک ادھیکار ہے قانون اور ویوستھا نہیں ہے تو سمودھان کی دفعہ ۳۵۶ کے تحت۔ آرٹیکل آپات کال کے تحت وہاں آپ کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میں گرہ منتری جی سے اور کیندر سرکار سے یہ جاننا چاہتا ہوں۔

آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سی۔ بی۔ آئی کے لوگ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ جن سنستھا میں اور دوسرے اخباروں میں روز انکے ادھیکاریوں کی گڑبڑی کے معاملے چھپتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ آدمی کس استھتی میں بلا رہے تھے۔ انکا بلانا غلط تھا یا نہیں تھا۔ میں انکا پکش نہیں لے رہا

ہوں۔ آپ اس بارے میں جو مناسب کارروائی کر سکتے ہیں کریں۔ ساتھ ساتھ بہار کے جتنے بھی ٹاپ آفیشیلس ہیں۔ ایس۔ پی کلکٹر۔ مکھیہ سچیو۔ جتنے بھی یہ بڑے بڑے پدادھیکاری ہیں۔ پولیس اور پرشاسن کے۔ وہ ابھی تک لالو پرساد یادو کی بات مانتے ہیں۔ چاہے وہ جوڈیشیل ریمانڈ میں رہ رہے ہوں یہ بھی سچ ہے کہ جس دن سی۔ بی۔ آئی۔ کے لوگ رات میں انکو کھوج رہے تھے آپ نے سماچار پتروں میں پڑھا ہوگا کہ اس دن مکھیہ منتری آوس میں دو میٹنگیں ہوئیں۔ ایک تو رابڑی دیوی نے بلائی تھی اور رات میں دوسری میٹنگ لالو پرساد یادو نے بلائی تھی۔ اگر سارے سماچار غلط ہیں تو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔

مہودے جن ادھیکاریوں نے سی۔ بی۔ آئی۔ کو وارنٹ ایگزی کیوٹ کرنے میں سہیوگ نہیں دیا۔ انکے خلاف آپ کارروائی کیجیے۔ ان کو دنڈت کیجیے۔ ہمارے منتری آہلووالیہ جی آج کل لالو جی کے بڑے مددگار ہو رہے ہیں۔ کل تک تو وہ خلاف ہو رہے تھے۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ کارن ضرور ہے۔ خیر۔ ان کارنوں کو آپ اور ہم سے

ایک دن دیکھ لینگے۔ وہ کہتے ہیں کہ "جن ہت یا چھا" کو ختم کر دینا چاہیئے ارے یہی تو ایک راستہ بچا ہے ان "مدا اندھ" بھرشٹاچاریوں کے خلاف۔ جن ہت کے سوالوں پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کر اسطرح کے کارناموں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اسلئے میں گرہ منتری جی سے کہنا چاہونگا۔ کہ پی۔ آئی۔ ایل۔ جو ہے اس پر کوئی روک لگانے کی بات مت کیجیے اگر کوئی غلط شکایت کرتا ہے۔ تنگ کرتا ہے تو کورٹ اسکو دیکھے گی۔ کسی کو بدنام کرنے کیلئے۔ پریشان کرنے کیلئے غیر ضروری طور پر کورٹ میں کیس کیا جاتا ہے تو کورٹ اسکو دیکھے گی۔

مہودے میں "جوڈیشیل ایکٹیوزم" کے پکش میں نہیں ہوں۔ لیکن جہاں پر کاریہ پالیکا وپھل ہو جائے وہاں نیائے پالیکا کی سکریہ تا بڑھے گی یا نہیں۔ یہ تو آٹومیٹک ہے۔ آج کاریہ پالیکا اپنے فرض کو نہیں نبھا رہی ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں جوڈیشری میں ایکٹیوزم بڑھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

مہودے۔ ویسے میں ہندوستانی ہوں۔ اور پورے دیش کی بات کرتا ہوں۔ لیکن بہار میں جنم لینے کے ناطے میں

کہنا چاہتا ہوں کہ بہار آج کہاں پہنچ
گیا ہے مہودے - ۱۵ اگست ۱۹۴۷ کو
جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تب بہار
ہندوستان کا چوتھا پچھڑا ہوا راجیہ تھا
اور آج ہم آزادی کی ۵۰ ویں جینتی
منانے جا رہے ہیں آج سرکاری رپورٹ
کے مطابق بہار ہمارے دیش کا ۱۷ واں
پچھڑا ہوا راجیہ ہے - یہ ہے بہار کی تصویر
اور لوگ کہتے ہیں کہ بہار پر چرچہ کرنے کی
ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے اسلئے کہ پورے
دیش کی ۱۰ فیصد آبادی بہار میں نواس
کرتی ہے - یہ ایک بڑا پردیش ہے وہاں کی
جنتا کی ساما جیک - آرتھک - شیکشنک
آوستھا بہت ہی قابل رحم ہے - بہار آج
بے روزگاری میں سب سے آگے ہے - جہالت
میں سب سے آگے ہے غریبی میں سب
سے آگے ہے - آپ کہتے ہیں کہ بہار میں
حالت ٹھیک ہے - کچھ گڑبڑ نہیں ہے - آپ
جنتا کے کمشنر دیں ہیں ... "مداخلت" ...
اپ سبھا ادھیکش "شری تریوی ناتھ چترویدی"
اب آپ سماپت کریں -
شری جلال الدین انصاری: وہاں
کوئی گھوٹالہ نہیں ہوا - بلکہ میں کہتا ہوں
کہ وہاں خزانے کی لوٹ ہوئی ہے اور خزانہ
کی لوٹ بند ہونی چاہیے سرکار سے یہ نیوین
کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں

4.00 P.M.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में जो बात हो रही थी सदन में, मेरे कुछ साथी नैतिकता की भी बात कह रहे थे, कुछ कानून व्यवस्था की बात कह रहे थे, कुछ भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे भाई—भारती जनता पार्टी के साथी किस नैतिकता की बात करते हैं, जनता दल के भाई किस नैतिकता की बात करते हैं? जो कल तक नैतिकता की बात करते थे वह आज उस नैतिकता से मुकर रहे हैं। बिहार के अंदर उपसभाध्यक्ष महोदय, कानून की व्यवस्था की जो स्थिति है वैसे तो सुना करते थे कि बिहार मे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब रहती है लेकिन अब कुछ ज्यादा ही खराब है और उसके कारण आज बिहार की जो शासन व्यवस्था है वह इतनी कमजोर है कि वहां पर असामाजिक तत्व—जो गुंडा तत्व है वह अपने कारनामों के लिए अब सामने आने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति पर चर्चा करते, बिहार की कानून व्यवस्था पर करते तो ठीक लगता। लेकिन चाहे इधर के साथी, चाहे उधर के साथी सबका एक ही उद्देश्य था—लालू प्रसाद यादव के बारे में। ...(**व्यवधान**) जो संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की बात की जाती है, आज ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर हम लोग ही ऐसी व्यवस्था के सहयोगी है और सहयोग के कारण यह व्यवस्था वहां पर पैदा हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, उन्होंने वहां के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का। सही बात है यदि भ्रष्टाचार किया है तो उसको फांसी पर लटका दो, हम सपोर्ट नहीं करते। सी०बी०आई० में पुलिस अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी चार्ज शीट कर दे इस आधार पर हमारे भाई नैतिकता की दुहाई देते हैं और फिर इस्तीफे की बात करते हैं। वही लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया और वही आजादी की 50वीं स्वर्ण जयंती मनाने की बात कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): बिहार की बात कहिए, क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री मूलचन्द मीणा: मैं बिहार की बात ही कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**) मैंने यह कहा है कि श्री लालू यादव जी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसको फांसी पर लटकाइए। मैं भ्रष्टाचार की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो नैतिकता की बात करते हैं उनकी बात कह रहा हूं कि हम कितने नैतिक लोग हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, बिहार की कानून व्यवस्था को खराब करने में

केवल सरकारी पक्ष का ही दोष नहीं है उसके हम सब दोषी हैं। इस कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहां का प्रशासन यदि प्रयास करता है तो उनको नैतिकता के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर यदि पुलिस अपनी ही रिपोर्ट पर चार्ज शीट पेश करे तो उसी को आप शोरोगुल मचाकर, हल्ला-गुल्ला करके वहां की स्थिति को खराब करते हैं। आज बिहार की स्थिति के बाद जो लालू प्रसाद यादव की बात को हम देखते हैं तो उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां पर जो कानून है, न्याय प्रणाली है,*

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जुडिशियरी के बारे में इस तरह का एलीगेशन मैं रिकार्ड के ऊपर नहीं जाने दूंगा। इसलिए आप संतुलित भाषा में जो बात कहनी है वह कहिए।

श्री मूल चन्द मीणा: सी०बी०आई० संदेहास्पद इसलिए हो गयी है कि जिस सी०बी०आई० ने इतवार के दिन प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लालू यादव को चार्ज शीट की और उसकी एक कापी पहले से ही लोक सभा में विपक्ष के नेता को मिल जाए तो इससे सी०बी०आई० के अधिकारियों की निष्पक्षता पर आंच क्यों नहीं आएगी? उन पर लांछन क्यों नहीं लग सकता है? और उससे ज्यादा मुझे समझ मे नहीं आ रहा है। यह सोच रहे थे कि विपक्ष के नेता को रिपोर्ट मिल गयी होगी लेकिन लालू यादव को गिरफ्तार करने के लिए आर्मी की सेना को बुलाना यह साबित करता है कि वह सी०बी०आई० का अधिकारी लालू प्रसाद यादव से भी ज्यादा दोषी है। और मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विश्वास को यदि हटाया गया तो हम वापिस कोर्ट मे जाएंगे क्योंकि विश्वास की निष्पक्षता पर अब भरोसा नहीं रहा है। वह तो एक पार्टी बन कर रोज समाचार पत्रों में, टी०वी० पर अपनी फोटो दिखाकर एक प्रचार का माध्यम बन गये हैं। और आर्मी को बुलाते हैं। आप इस देश के गृह मंत्री हैं, आपका एक अधिकारी बिना आपकी इजाजत के, उच्च अधिकारियों की इजाजत के आर्मी बुलाता है और आप चुप बैठे हो। आपको अब तक उस अधिकारी को सस्पैंड कर देना चाहिए था। आप चुप्पी लगाकर बैठे हैं, इसका मतलब है कि केन्द्रीय सरकार भी अपनी स्थिति क्लीयर नहीं कर रही है। इसका मतलब केन्द्रीय सरकार को जो संगठन सपोर्ट कर रहे हैं, उनके दबाव के अन्दर आप सही बात को सामने नहीं आने देना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य: यह भी हमारे दबाव में है। ...(**व्यवधान...**)

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री मूलचन्द मीणा: नहीं। अभी अंसारी जी बोल रहे थे, इनके दबाव के अन्दर—यह मजबूरी की बात कर रहे थे। मुझे अफसोस हो रहा था। मजबूरी यह है कि लालू यादव को जब तक हम सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक तो हम...(**व्यवधान**)...

श्री गोविन्दराम मिरी: आप भी समर्थन कर रहे हो? ...(**व्यवधान**)...

श्री मूलचन्द मीणा: लालू यादव का जब तक यह सपोर्ट कर रहे थे तब तक कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन आज...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, आप इधर बोलिए। बाकी बातों में मत पड़िए। समय का ध्यान रखिए वरना मुझे दूसरे वक्ता को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद गृह मंत्री जी को उत्तर देना है। एक बिल को भी आज आना था तो आप कृपया समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहें।

श्री मूलचन्द मीणा: महोदय, मैं कल्याण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उपसभाध्यक्ष ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जो चाहेंगे वह कहें लेकिन आप इधर देखते हुए कहें, उधर देखते हुए नहीं।

श्री मूलचन्द मीणा: महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री कल्याण सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री गोविन्दराम मिरी: कल्याण सिंह जी बीच में कहां से आ गए। वह हाउस के मैंबर नहीं हैं...(**व्यवधान**)...

श्री मूलचन्द मीणा: अरे भाई, सुन तो लीजिए। उनको धन्यवाद न दूं तो ठीक है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): ध्यान देने में कोई खराबी नहीं है। आप समाप्त कीजिए। आप उधर देखकर धन्यवाद देते हैं। इधर देखकर धन्यवाद दे दीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा: बिहार की विधान सभा में से वहां की मुख्य मंत्री एक औरत को चुना गया, उस पर उन्होंने यह कहा कि यह अनुचित नहीं किया गया है लेकिन जब मैंने आडवाणी जी का बयान पढ़ा तो अफसोस हुआ कि एक तरफ तो उनके उपाध्यक्ष जी कहते हैं कि अच्छा हुआ और यह कहते हैं कि गलत हुआ। इससे उनकी भावना का पता लगता है। यह चाहते हैं कि बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो। जो लोग 356 की धारा का विरोध करते हैं, आज वह

लोग उस 356 की धारा का प्रयोग कराना चाहते हैं जब कि वहां पर चुनी हुई विधान सभा है, चुनी हुई मुख्य मंत्री हैं। लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर हैं और यह कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि जेल में बैठकर लालू यादव शासन कर रहा है। उसकी औरत राज नहीं कर सकती। उसकी औरत मुख्य मंत्री नहीं बन सकती। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मिरी जी, आप बैठिए।

श्री मूलचन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की भावना के साथ बिहार की बात पर विचार किया जा रहा है—कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैं गृह मंत्री जी ने निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर कानून और व्यवस्था हमेशा खराब रही है, उसको ठीक किया जाए लेकिन कानून और व्यवस्था उतनी भी खराब नहीं हुई है कि जो लोग 356 का विरोध करने वाले हैं, वह जबर्दस्ती धारा 356 लागू कराना चाहें। आज यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो सब चुप्पी साध जाएंगे। ...(**व्यवधान**)...जनार्दन यादव जी बलात्कार की बातें कर रहे थे। अरे यादव साहब,* तो क्या यह बात कानून और व्यवस्था की नहीं है? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी): आप ऐसी विवादास्पद बातों को मत कहिए। इस तरह का ऐलीगेशन जो है...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, यह वह बात कर रहे हैं जिसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है। वह गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह क्या मतलब है? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): This sentence stands deleted. This allegation stands deleted.

श्री गोविन्दराम मिरी: उपसभाध्यक्ष जी, पांइट ऑफ आर्डर ....(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप तशरीफ रखिए....(**व्यवधान**)...आप समाप्त कीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा: मैं समाप्त कर रहा हूं। ....(**व्यवधान**)...

*Expunged as order by the Chair.

श्री रामदास अग्रवाल: वे इस दोष से मुक्त हो चुके हैं। ...(**व्यवधान**)...उपसभाध्यक्ष जी, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में ...(**व्यवधान**)...

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिब, यहां से प्रधान मंत्री जी के बारे में कुछ कहा गया था तो उसको आपने रिकार्ड से हटा दिया है। यह बात भी उसी कदर सीरियस है, जिस तरफ इशारा किया गया है, इसको बिल्कुल रिकार्ड से हटा दिया जाये।

†[شری سکندر بخت: صدر صاحب۔ یہاں سے پردھان منتری جی کے بارے میں کچھ کہا گیا تھا تو اسکو آپنے ریکارڈ سے ہٹا دیا ہے۔ یہ بات بھی اسی قدر سیریس ہے جسطرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کو بالکل ریکارڈ سے ہٹا دیا جائے]

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जी हां, मैंने स्वयं इस तरह का निर्देशन दे दिया है...(**व्यवधान**)...

श्री मूलचन्द मीणा: क्या आप इसकी सीबीआई से जांच करा सकते हैं? ...(**वयवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप समाप्त कीजिए।

श्री शिव चरण सिंह: आप सीबीआई से...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मीणा जी, आप समाप्त करिए। आप अगर एकाध और सटेंस कहना चाहते हैं तो वह कहकर समाप्त कीजिए। आप अच्छे वक्ता हैं, बड़े अनुभवी हैं, आप अपने ढंग से उसको समाप्त कर दीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष महोदय, जो सीबीआई के अधिकारी कहते हैं कि न्यायालय ने उन्हें मौखिक आदेश दिए हैं, उस आदेश के मुताबिक ही हमने सेना को बुलाने के लिए लेटर लिखा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको कोई पत्र मिला है? क्योंकि गृह मंत्री जी ने बयान में बताया है कि उन्होंने साफ मना किया है कि हमने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया है...(**व्यवधान**)...

†[Transliteration in Arabic Script

श्री शिव चरण सिंह (राजस्थान): जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, उसको होम मिनिस्टर साहब बतायेंगे...(**व्यवधान**)...आर्मी आती है, किन परिस्थितयों में आती है उसकी जानकारी करनी चाहिए...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, वह जानकारी है। आप रहने दीजिए। आप व्यर्थ में हस्तक्षेप मत करिये। उनको समाप्त करने दीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष महोदय, आर्मी बुलाने की बात से साबित होता है कि बिहार के अन्दर कानून-व्यवस्था के बिगड़ने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो लोग इस प्रकार गैर-कानूनी काम करते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही होनी चाहिए। गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह स्पष्ट करें कि सीबीआई के अधिकारियों ने क्या आर्मी कानूनन बुलाई है और बुलाई है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): श्री सतीश प्रधान जी, आप बोलिए। आपके पास केवल पांच मिनट का समय है। कृपया उसी में समाप्त कर दीजिए।

श्री सतीश प्रधान: उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं तीन मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। महोदय, मैं आपका आभारी हूं। अभी जिस विषय पर सदन में चर्चा चल रही है वह बिहार है। बिहार में पिछले सालों में जो घटनाएं घटी हैं उनका समर्थन करना बिल्कुल अयोग्य रहेगा और लांछनास्पद है, ऐसा मेरा और मेरी पार्टी का पूरा विश्वास है। वहां पर बहुत सारे घोटाले हुए, कानून-व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई और रेल यात्रा करना भी मुश्किल हो गया। दलितों के ऊपर अत्याचार, उनका खून-खराबा इतना हुआ कि हद से बाहर हो गया। चार दिन पहले यहां चर्चा हुई कि महाराष्ट्र में दलितों पर अन्याय हो रहा है, इस विषय पर चर्चा हुई। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में दलितों के बारे में जितना ख्याल रखा जाता है और महाराष्ट्र में दलितों को ऊपर उठाने के लिए जो भी कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है वह की जाती है। वह अलग विषय है और मैं उस विषय पर कभी अवश्य बात करूंगा। महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक किसी दलित पर अत्याचार नहीं किया है बल्कि उनको सम्भाल करके ऊपर उठाने की कोशिश की है। बिहार में हद से ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ। आज मैं सदन में देख रहा हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त करने के लिए जो लोग बात कर रहे थे, उसमें से बहुत सारे लोग आज बिहार की सरकार को समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह क्या राजनीति है। हम इस सदन में बैठे है, यह राज्य सभा का सदन है। यह सदन अपर हाउस है। इस सदन में जो भी बात करनी है, इस सदन की गरिमा रखकर बात करनी है। यहां सदन में बैठकर बात करते समय हम भूल जाते हैं और यहां सदन में बात करते समय सिर्फ हमारी राजनीति कैसे खींची जाये और दूसरे जो हमारे अप्रिय है उसका कांटा कैसे निकाला जाये उसको कैसे बाजू में निकाला जाये, उसका कैसे भेद किया जाये। यह सब छोड़करके अन्य विषयों पर कोई बात नहीं होती है। इस विषय से मैं चिंतित हूं। मैं बताना चाहता हूं केवल दो ही उदाहरण और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मेरा कैरियर जब शुरू हुआ तब 1967 के साल में मैं नगर पालिका में चुनकर आया था और वहां का मेरा अनुभव था 1974 से 1981 में नगर पालिका में मैंने नगर अध्यक्ष की हैसियत से काम किया उस समय मैंने म्युनिसिपैलिटी बरखास्त करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कम से कम दो या तीन बार मुझे नोटिस दिया था तब मेरा मत यह था कि किसी भी हालत में हमें जनता ने चुनकर दिया है। हमारी म्युनिसिपैलिटी का कारोबार बरखास्त करने का सरकार को अधिकार नहीं चाहिये। यदि हम गलती करते हों तो हमें लोगों को पीछे बुलाने का हक होना चाहिये और यहां 1992 में राज्य सभा के सदन में आया तो तभी से मैंने यहां यह देखा कि यहां किसी की कोई भी सरकार हो, कहीं कुछ भी हो या न हो, जो कुछ हुआ है वह सुधारने के लिए क्या करना चाहिये, उसके लिए क्या संशोधन करने चाहियें इस विषय पर हम यहां बात या चर्चा नहीं करते। तो किस की सरकार खींचकर बाहर निकालें, इसके सिवाय दूसरी कोई चर्चा इस सदन में नहीं होती है। सर, हमारी स्वतंत्राता की पचासवीं सालगिरह हम मना रहे हैं और तब से अभी तक इतनी सारी किताबें निकालनी पड़ी, अभी तक हमने सैन्ट्रल गवर्नमेंट का राज कितने राज्यों में किसने लाया, उसका किताब बनाया है। क्या यह हमारे स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए शोभादायक बात होगी? यदि यह किसी को शोभादायक बात लगती है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह लोकतंत्र का अपमान है और लोकतंत्र का अपमान जिस ढंग से करने की कोशिश चल रही है यह गलत है। मैं यही बताने के लिए यहां खड़ा था कि इस विषय पर संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से

प्रार्थना करूंगा, मुख्य मंत्री परिषद ने इस विषय पर चर्चा करना शुरू किया है। इस विषय पर परिसंवाद आयोजित करिये, सैमिनार कीजिये। अलग-अलग विषयों पर चर्चा करके जैसी बिहार में घटना घटी है, यह घटना निन्दाजनक है। इस घटना के घटने के बाद वहां किस ढंग से व्यवस्था करने की आवश्यकता है, कानूनी व्यवस्था कैसी करनी है, इस विषय पर गौर करें, उसमें रास्ता कैसे निकाला जाये, इस विषय पर चर्चा करें। सिर्फ आज एक सरकार को बर्खास्त करें, कल दूसरी सरकार को परसों तीसरी सरकार बर्खास्त करें तो इससे यह विषय समाप्त होने वाला नहीं है। लोगों को जो आदत बनी हुई है, लोगों की आदत को सुधारने की क्या आवश्यकता है, उसके लिए हमें क्या करना है, इस विषय पर हम विचार करें। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

SHRI JOYANTA ROY (West Bengal): Sir, the situation in Bihar is really grave. Naturally it has come up in the national agenda for two reasons. One is that Shri Laloo Prasad Yadav has tried his level best to stick to the chair, in spite of all round protests to jeopardise the rich heritage of our country's democratic functioning, which has been inclucated for the last 50 years. Secondly, as President of the Janata Dal, Shri Laloo Prasad Yadav had taken active part in the formation of the Common Minimum Programme of the United Front Government. That United Front Government also had declared very categorically that the Government would run in a transparent manner and it adheres to the policy of transparency and neutrality. In spite of repeated requests from all partners of the United Front Government, for the alleged fodder scam, Laloo Prasad Yadav stuck to his Chair. It is number one.

It has been discussed in this House from a different point of view and from a different angle that this is not at all a question of jurisprudence, not at all a question of legality. It is simply a question of propriety and morality. If the Chief Minister of a State doesn't bother about morality, propriety, then, it is a direct aspersion on the people who have elected this Government. Therefore, on behalf of my party, I would like to say categorically that under the aegis of the Left paty in Bihar, already people have come out on the streets. They are raising their voice to restore democratic functioning in the State of Bihar. At the same time, we would like to request our hon. Home Minister to take a serious note of the style of functioning which is going on in Bihar in the name of eliminating casteism and racial discrimination. Racial fanaticism is going on in Bihar. That should be stopped. My party categorically says that this is not the time to impose President's rule in Bihar.

My last point is regarding a review of the role of top bureaucrats in Bihar, particularly, Collectors, Superintendents of Police, etc., by the Ministry of Home Affairs. They have been entrusted to comply with the order of the court. They did nothing. There may be some sort of minimal lapses on the part of the Joint Director, C&I or on the part of the officers of the CBI. Those lapses should not be construed as a gross lapses. I think it is high time that the Central Government should take a serious note of it and stop-all these things which are going on in Bihar. Thank you.

श्री नरेश यादव: बहुत बहुत धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बिहार पर चल रही चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया। सब से पहले उन तमाम साथियों ने जिन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया है, इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गम्भीर चर्चा बिहार पर की है। साथ ही साथ मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि इस सम्मानित सदन का सही उपयोग नहीं किया गया है। ऐसा मुझे लगा जब कुछ साथी अपनी राय प्रकट कर रहे थे तो बिहार के बारे में इस तरह से बताया गया कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, डकैतियां हैं, सारी बातें बिहार में ही हैं बाकि पूरे हिन्दुस्तान में कुछ नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान से काट कर के बिहार को अलग रूप से सोचना और बिहार का इस महत्वपूर्ण सदन में इस तरह से अपमान करना, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ में यह बात भी कहना चाहता हूं अपने साथियों से अपने वाम साथियों से कि भाजपा वालों का गुस्सा तो मुझे समझ में आता है कि उन्हें यह गुस्सा 1989 का है और 1989 का गुस्सा कहीं न कहीं उतारें,

इसलिए यह आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वाम-पंथी साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि 1990 से हमारे साथ मिल कर सरकार चला रहे हैं, 1995 तक आपकी जबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला अचानक कौन सी बात हो गई कि आज निकल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार 1977 से है। जबकि बिहार के बिहार सरकार में शामिल अभी जो भा०ज०पा० के नेता हैं...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप बैठिए-बैठिए।

श्री नरेश यादव: अभी यह भ्रष्टाचार, यह मान्य है, 1977 से है उस समय जब बिहार सरकार में वित्त मंत्री श्री कैलाशपति मिश्र जी आसीन थे। लेकिन जांच का विषय 1990 से बनता है जब साबित हुआ रिकार्ड में कि भ्रष्टाचार 1977 से है तो जांच 1990 से जब लालू जी ही मुख्य मंत्री है तब क्यों? यह बहुत अहम सवाल है। इसलिए महोदय, कि लालू जी आज के दिन में बिहार में नहीं, देश में सामाजिक न्याय का प्रतीक बन गए हैं। जब-जब सामाजिक न्याय का प्रतीक व्यक्ति, सामाजिक न्याय का पुरोधा हिन्दुस्तान के तख्त-ओ-ताज़ पर बैठता है तो निश्चित रूप से हजारों-हजार साल से जिसने हिन्दुस्तान के आम लोगों के पेट और जेब पर लात मारा है, दिमाग का शोषण किया है, उनको जलन होना शुरू हो जाता है। अब यही आज जलन का प्रतीक है कि जिसके कारण लालू जी का विरोध इस तरह से हो रहा है। मैं यह कहता हूं लालू जी आज जेल, में हैं। आज न्यायालय में मामला पड़ा हुआ है। न्यायालय जो भी फैसला देगा वह मान्य है।...**(व्यवधान)** नहीं, न्यायालय से बढ़ करके कोई नहीं है...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): प्लीज़, डोंट इंटरप्ट।

श्री नरेश यादव: सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने किया है। लालू प्रसाद जी तब तक सरेंडर नहीं किए जब तक कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित था। सी०बी०आई०, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही अग्रिम जमानत खारिज़ किया वैसे ही उन्होंने आत्म समर्पण कर दिया। और जो ठहरने की बात है यह सरकार का डिसक्रीशन है, किसी भी राज्य सरकार का डिसक्रीशन है, उन्हें कहां रखे, कहां नहीं रखें। लेकिन दुख उस समय होता है जबकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जब निर्वाचित नेता होते हैं वहां के मुख्य मंत्री बनते हैं, जिनका आज जुमा-जुमा आठ दिन हुआ है उन पर भी कीचड़ इस सदन में उछाला जाता है और हमारे नेता विपक्ष के और विपक्षी पार्टी के लोग उछालते हैं तो निश्चित तौर से उस समय दुख होता है। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि यह हजारों-हजार साल से, वर्षों-वर्षों से गलत मानसिकता का शिकार आज लालू प्रसाद यादव जी हो रहे हैं। लालू प्रसाद का मतलब आज निश्चित तौर से सामाजिक न्याय है और पूरे देश में आज यह माना जा रहा है कि जिस तरह से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है आज की तिथि में भी लालू प्रसाद यादव जी ही एक व्यक्ति है जिन्होंने सब से पहले इस कांड का भंडाफोड़ किया और भंडा फोड़ करके उन्होंने केस दर्ज किया। और मुकदमा दर्ज करके दो सौ आदमियों को उन्होंने जेल में बंद किया और बंद करके यहां तक कि बड़ी-बड़ी हस्ती, बड़े-बड़े नेता के जमाई को और उनके समधी तक को जेल में बंद करवाया। बंद करके रिकवरी का काम जब किया जा रहा था तो ऐसा लगा कि लालू यादव जी हीरो हो जायेंगे। उसी समय प्रतिपक्ष के दल ने हंगामा किया और हंगामा करके यह सी०बी०आई० में मामला दे करके मामला को दबाने का काम और बदनाम करने लग गया। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, आज एक साथी मीणा साहब बोल रहे थे कि हमारे भा०ज०पा० की तरफ से बयान आता है कि विश्वास को हटाया गया तो हम कोर्ट में जायेंगे। और कोर्ट यह कहती है कि अगर विश्वास को हटाया गया तो हम देखेंगे। दोनों की बात एक कैसे मिल जाती है? वही बात कोर्ट बोले। जो बात कोर्ट बोले वह बात भा०ज०पा० बोले जो बात भा०ज०पा० बोले वह बात कोर्ट बोले। इसका मतलब क्या है?...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट का संदर्भ छोड़ दीजिए और कहिए आप जो भी कहना है।...**(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन*

...**(व्यवधान)**

इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। गरीबों के साथ में कितना दुष्प्रचार किया जा रहा है। पूर्व मंत्री श्री भोला राम तूफानी उनके बारे में पूरे हिन्दुस्तान के अखबारों में निकला कि भोला राम फरार है।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

भोलाराम तूफानी जी ने एक तारीख को आत्म-समर्पण किया। अपने घर से पैदल चलकर गए। सी०बी०आई० कहां गई थी? अगर फरार होते तो उन्हे गिरफ्तार करती। भोलाराम तूफानी जी पैदल जाते हैं, अकेले जाते हैं और आत्म-समपर्ण करते हैं। चूंकि वह दलित के बेटे हैं तो पूरे हिन्दुस्तान के अखबारों में, आपने पढ़ा होगा, उनकी बड़ी बदनामी वाली बात निकली, लेकिन वह व्यक्ति अपने घर में रहे अपने क्वार्टर में रहे और क्वार्टर में रहकर एक तारीख को जाकर उन्होंने आत्म-समर्पण किया। उनके बारे में मीडिया में और फिर कई लोगों में चर्चा हुई कि भोलाराम तूफानी फरार है। अब भी वह जेल में जाकर अपना फटा हुआ कुर्ता सी रहा है। यह है सी०बी०आई० का न्याय। एक दलित के बेटे पर इस तरह से अत्याचार करने से भी नहीं बचता, इसलिए कि दलित और यह पिछड़ा वर्ग के लोग वहां आज आसीन हैं।...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नरेश जी, धन्यवाद। आप समाप्त कीजिए।

श्री नरेश यादव: उपसभाध्यक्ष जी, मैं अब समाप्त करता हूं। अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक साजिश है, पूरे देश में सुनियोजित ढंग से की जा रही साजिश है, लेकिन जनता हमारे साथ है, जनता लालू जी के साथ है, हमको जनता इंसाफ देगी। हम जनता के प्रति समर्पित हैं, इसलिए हम जनता के बीच जाएंगे और जनता हमें इंसाफ देगी। न्याय पर भी हमारी पूरी आस्था है। लालू प्रसाद यादव जी निर्दोष हैं, उनको गलत फंसाया गया है, इसका भी जल्दी पर्दाफाश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): Sir, at the outset, let me assertively say that I am against corruption at all levels. The law should take its own course in punshing the guilty. But unfortunately the political parties are politicising the whole issue. With the resignation of Laloo Ji and the installation of the new Government, the matter was settled. when the popular Government is there, it is against the federal spirit of the Constitution to discuss the daily happenings of the State in this House. The State subjects are being discussed at the length in this august House. It is important to note that the Centre and the State have to function according to the Constitution. My party is against corruption at all levels. The leader of my party has taken effective steps to root out corruption at all levels. We filed a lot of cases against the leaders in spite of their political and financial status. I want to say at this juncture, in any case, the State Government should not be demoralised. Instead of going to the people to make them aware about corruption, some political parties are politicising the issue. They tried their best to demoralise a leader.

Secondly, I would like to refer to the statement made by the hon. Minister in respect of the C.B.I. It is understood that the Joint Diorector of the C.B.I. at Calcutta has instructed the Superintendent of Police at Patna to seek the help of the Army for executing the non-bailable warrant issued against Mr. Laloo. The Army authorities refused to arrest Laloo Ji without the permission of the civil authorities. I salute the army officers for taking the right stand. But the question is: "How could the C.B.I. officers seek the help of the Army? " Without consulting the Central Government, they have approached the Army. I would like to know whether the Government has approached the Army for executing the non-bailable warrant issued against Mr. Laloo Prasad Yadav. If not, which authority decided to seek the Army's help? Sir, the Army is meant to fight the enemy and to control the internal disturbances. The Army should not be demoralised, under any circumstances.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Mr. Duraisamy, please conclude.

SHRI V.P. DURAISAMY: Lastly, I would like to know who the CBI officials, who are involved in this act, are. What action does the Government propose to take against those CBI officers? Let the Minister clarify these things. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): श्री वसीम अहमद

श्री सिकन्दर बख्त: उधर के बाद इधर का होना चाहिए। उधर से सदस्यों को बोलते काफी देर हो चुकी है, अब इधर से भी बुलाना चाहिए।

†[اُپنیتا ورودھی دل شری سکندر بخت:
اُدھر کے بعد اِدھر کا ہونا چاہیئے۔ اُدھر سے
سدسیوں کو بولتے کافی دیر ہو چکی ہے۔
اب اِدھر سے بھی بلانا چاہیئے۔]

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): हिन्दी में बोलते काफी देर हो गयी थी इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी अंग्रेजी हो जाए और अब अच्छी उर्दू सुनने को मिलेगी।

श्री वसीम अहमद : उपसभाध्यक्ष जी, आज सतीश अग्रवाल साहब ने जो डिबेट हाउस में ओपन की है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने 60—70 फीसदी बातें थोड़ा पोलिटिक्स से ऊपर उठकर कहीं और उन्होंने डिबेट को थोड़ा सा चाहा था कि वे सियासत में न फसें लेकिन आखिर में वे मजबूर हुए उसको सियासी रूप देने के लिए।

आज बिहार की स्थिति को अगर हम ईमानदारी के साथ देखें तो मेरा अपना जाति तौर पर मानना यह है कि वहां पर रोल, चाहे वह सी॰ बी॰ आई॰ का हो, चाहे कोर्ट का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, थोड़ा सा पोलिटिकलाइज़ हो गया और पसर्नल हो गया। इस फॉड्डर स्कैम की वजह से ही आज हाउस में यह डिबेट हो रही है कि बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति पर अगर आप गौर करें और खास तौर से इस फॉड्डर स्कैम को, तो यह स्थिति 1977 से चल रही है। जिसमें चार मुख्य मंत्री बदले जा चुके हों और उसके पहले भी एक-दो मुख्य मंत्रियों के नाम हों, उनके साथ एक दूसरा रोल और एक मुख्य मंत्री के साथ एक दूसरा रोल, तो इस पर भी हमें जरा गौर करना चाहिए। सी॰ बी॰ आई॰ के रवैये से यह बात साफ जाहिर होती है कि अकेले लालू प्रसाद यादव को यह कहना कि वे इन चीजों के लिए जिम्मेदार हैं और उन पर जो चार्जशीट की गई 124 लोगों के साथ, अगर सबके साथ एक सा रवैया होता और एक तरीके से गिरफ्तार करने का रवैया होता तो मैं समझता कि यह बात ईमानदारी के साथ हो रही है। आज सी॰ बी॰ आई॰ का जो रोल उनकी गिरफ्तारी के संबंध में रहा है, खास तौर से जब कि वे एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और बहैसियत चीफ मिनिस्टर के अगर वह बयान दे रहे हैं कि मैं कल गिरफ्तारी दूंगा तो मैं नहीं समझता हूं कि चाहे उसमें हाई कोर्ट का कोई रोल रहा हो या सी॰ बी॰ आई॰ और हाई कोर्ट में कुछ बातचीत रही हो या कुछ भी रहा है, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, मैं नहीं समझता हूं कि किसी चीफ मिनिस्टर को इस तरह से गिरफ्तार करना चाहिए। हमारे गृह मंत्री जो यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे साफ तौर से पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी मजबूरियां थीं और ऐसे कौन से हालात बने थे जिनकी वजह से लालू जी को इस बुरे तरीके से और बेढंगे तरीके से गिरफ्तार किया गया? इससे न देश का और न ही प्रदेश का कोई पोलिटिकल माहौल सही होगा। आज जो बिहार के हालात बने हुए हैं, जहां तक सवाल जनता दल की गवर्नमेंट का था, जनता दल की गवर्नमेंट ने वहां पर हमेशा लॉ एंड आर्डर बेहतर करने की कोशिश की और वहां पर कभी भी कोई कम्युनल रॉयट्स नहीं होने दिया जिसकी वजह से लॉ एंड आर्डर वहां पर बिगड़े, चाहे वह सीतामढ़ी का हो या और कोई हो और यही नहीं कम्युनल हारमोनी के लिए जो काम वहां की गवर्नमेंट ने किया, उस पर भी हमें जरा गौर करना चाहिए और वह दिन भी याद करना चाहिए जिस दिन एल॰ के॰ आडवाणी साहब को लालू जी ने गिरफ्तार किया था, तब भी प्रदेश में कोई बात नहीं हुई थी। ये तमाम बातें थी, जो पकती रहीं और आज हालात ऐसे बन गए कि जब उनको गिरफ्तार किया गया और ऐसा भी नहीं था कि वे यहां से भागकर जा रहे थे और नेपाल में जाकर शरण ले रहे थे। ठीक है, गिरफ्तारी उनकी होनी थी और गिरफ्तारी के लिए उन्होंने कह दिया था कि मैं रिज़ाइन करूंगा और रिजाइन उन्होंने कर भी दिया और उसके बाद कहा कि कल मैं खुद जाकर गिरफ्तार होऊंगा। लेकिन रात में जो माहौल, जिस तरह से सी॰ बी॰ आई॰ ने बिगड़वाया, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए।

यह लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? जहां तक लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का सवाल है, अगर यह बिहार में खराब है तो चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यू॰ पी॰ हो, यहां भी लॉ एंड ऑर्डर कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप यह कह सकें कि वहां की सरकारें बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं और वहां की सरकारें सही तरीके से काम कर रही हैं ...**(व्यवधान)**

श्री शिव चरण सिंह: गलत बात आप क्यों कह रहे हैं ....**(व्यवधान)** आप गलत बात कह रहे हैं ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वसीम अहमद साहब, अब आप समाप्त कीजिए, बहुत-बहुत शुक्रिया ...**(व्यवधान)**

†[ ]Transliteration in Arabic Script

श्री वसीम अहमद: मैं समाप्त करना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब वाइंड-अप कर लीजिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री वसीम अहमद: ठीक है, वाइंड-अप तो आपने कर ही दिया है। धन्यवाद।

श्री संजय निरूपम: उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार की वर्तमान स्थिति पर आज यहां चर्चा चल रही है। उसमें अपनी बात रखने का आपने जो मौका मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं पिछले 3 दिनों तक बिहार में था, पटना में था और कल शाम ही वापस आया हूं महोदय, जिस दिन मैं पटना पहुंचा था, उसके एक दिन पहले बिहार बंद था और उसकी खबरें अखबारों में हमने पढ़ी थीं। अखबारों से पता चला कि रूलिंग राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित इस बंद के दौरान दहशत और भय का माहौल था। श्री सतीश अग्रवाल जी ने कहा कि वहां वकीलों से उठक-बैठक कराई गई। उनकी जानकारी अधूरी है, उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। वकीलों से सिर्फ उठक-बैठक नहीं कराई गई बल्कि उनके सिर फोड़े गए और फूटे हुए सिर लेकर जब वे वकील हाईकोर्ट पहुंचे, तब जाकर कोर्ट ने इंटरफीयर किया। उस बंद के दौरान प्रशासन की भूमिका क्या रही, यह भी विचारणीय बात है। महोदय, 2 बजे तक प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय था और उन लोगों ने आर० ए० एफ० बहाल करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया था। दो बजे जब हाईकोर्ट के जज ने यह आदेश जारी किया, चीफ सेक्रेटरी और डी० जी० पी० को बुलाकर डांटा गया कि जल्दी से आर० ए० एफ० बहाल कीजिए वरना हालत खराब हो जाएगी, जनजीवन अशांत हो जाएगा, तब जाकर आर० ए० एफ बहाल की गई। इस बारे में वहां के अखबारों में एक इंटरव्यू छपा है, उसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): पढ़कर मत सुनाइए। आप अपनी भाषा में थोड़ा सा बता दीजिए।

श्री संजय निरूपम: पंक्ति यह है कि — "A partisan district administration today gave itself up to the Rashtriya Janta Dal "goon squads" as they went about using unprecedented terror tactics to enforce what people billed as goonda curfew in the State capital".

यह गुंडा कर्फ्यू क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन वहां पर विफल हो गया था। महोदय, हमने सी० बी० आई० की भूमिका के ऊपर शक किया, अदालत की भूमिका के ऊपर शक किया लेकिन प्रशासन की जो भूमिका रही है, बिहार में पटना प्रशासन की जो भूमिका रही है, उसके ऊपर कोई शक नहीं कर रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। प्रशासन वहां कैसे फेल हो रहा है, इसका एक उदाहरण तो बंद के दौरान सामने आया है जो मैंने आपको बताया है। दूसरा उदाहरण यह है कि पिछले महीने पटना में जबरदस्त बारिश हुई। यह कहा गया कि पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, पूरा पटना शहर पानी से भर गया। राजेन्द्रनगर और कदम कुआं की सड़कों पर जहां पहले गाड़ियां चलती थीं, नाव चलने लगी। पूरा प्रशासन वहां था, पुलिस थी, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, वे राजधानी में थे, मुख्यमंत्री निवास में थे लेकिन किसी का ध्यान उस समस्या की ओर नहीं गया। तब कोर्ट ने इसमें दखल दिया और आदेश जारी किया कि जितनी जल्दी हो सके सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्टिव हो और पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। उसके बाद प्रशासन सक्रिय होता है।

महोदय, प्रशासन की अकर्मण्यता का तीसरा सबूत तब सामने आया जब सी० बी० आई० की टीम लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट करने गई। वहां पुलिस एस० एस० पी० जो कि एक पुरुष हैं और डी० एम० जो कि एक महिला हैं, वे लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर लालू जी को हाथ भी लगाया तो ऐनकाऊंटर हो जाएगा। यह तो प्रशासन का रवैया है। ऐसी स्थिति में अगर सी० बी० आई० कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट से आदेश मिलता है कि जाइए आर्मी से मदद लीजिए तो इसमें गलत क्या है?

श्री वसीम अहमद: महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

हमारे साथी ने यह कहा है कि एनकाउंटर हो जाएगा। यह बात किसने कही है?

श्री संजय निरूपम: अखबारों में छपा है। जो खबर छपी है मैं आपके सामने रख रहा हूं महोदय। मैं यहां पर एक दृष्टांत रखना चाह रहा हूं। हमारे देश के पूर्व उप सेनाध्यक्ष जनरल एस० के० सिन्हा है, वह पटना में रहते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने सन्डे के टाईम्स आफ इंडिया में एक आर्टिकिल लिखा है और उस आर्टिकिल में बताया है कि आर्मी की मदद लेने में गुनाह क्या है और अच्छाई क्या है। उनके विचार मैं बताना चाहूंगा आपको।

"Our law does not provide for the judiciary to directly seek the assistance of the army. Yet strange things happen in our country. Not long ago, Mr. Mulayam Singh Yadav, when he was the Chief Minister of UP, organised a State bandh, despite the then Prime Minister and the then Home Minister publicly urging him not to do so. During that bandh, some of his party toughs finding Allahabad High Court functioning on the day of the bandh, chose to disturb the proceedings there. They even fired a few shots and ransacked the chamber of the Chief Justice in his presence. The police accompanying them remained mute spectators. The Chief Justice summoned military assistance on the telephone and the local military commander in Allahabad Cantonment responded immediately. He promptly sent soldiers to the High Court who dispersed the vandals. Although this action may not have been according to the prescribed procedure or law the action was fully justified."

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब समाप्त करिए, समय हो गया।

श्री संजय निरूपम: महोदय, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि वह प्रक्रिया गलत हो सकती है। सी० बी० आई० बगैर केन्द्र सरकार से सम्पर्क किए दानापुर में जो हमारे ब्रिगेडियर बैठते हैं उनसे सम्पर्क कर ली हो, यह बात गलत हो सकती है। लेकिन वहां स्थिति ऐसी थी कि सेना की मदद लेना जरूरी था। महोदय, हमारा कहना यह है कि बिहार में जबर्दस्त दुर्गति हो गई है। मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछते है कि बिहार का क्या होगा। मेरे दोस्त के पिता जो 80 साल की उम्र में हैं वह पूछते हैं कि बिहार का क्या होगा। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वह पूछते हैं कि अब बिहार का क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम बिहार सरकार के समर्थन में, बिहार सरकार ने जो भ्रष्टाचार और लूटपाट का माहौल पैदा किया हुआ है उसके समर्थन में कुछ बातें करें, यह हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी के सामने अपनी बात रखना चाह रहा हूं कि हम धारा-356 लागू करने के पक्षधर नहीं है। हम चाहते हैं कि जो चुनी हुई सरकार है उसकी रक्षा हो और उनको बचाया जाए। लेकिन बिहार एक अपवाद है। बिहार ऐसी स्थिति में है कि केन्द्र सरकार को वहां दखल देनी पड़ेगी। वहां पूरी तरह एक फाइनेंसियल एमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है। फाइनेंसियल बैंक्रप्ट हो गई है, टोटल बैंक्रप्ट हो गई है। मेरी बड़ी बहन जिसकी 50 साल की उम्र है वह वहां स्कूल टीचर है बी० एन० कॉलेज में, उसको 18 महीने से सेलेरी नहीं मिली है। ट्रांसपोर्ट कमीशन के 250 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको दो-दो साल की सेलेरी नहीं मिली है तथा कुछ ने सुसाइड कर लिया। वहां पर घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट में हाथ डालिए घोटाला मिल जाएगा, करप्शन मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वहां अगर धारा 360 का सहारा लेकर के, सहयोग लेकर के अगर फाइनेंसियल इमरजेंसी लागू करदी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): मैं भी माननीय अग्रवाल साहब की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत बड़े ही अच्छे ढंग से की थी। बिहार के कुछ महान नेताओं की चर्चा की, गौरवशाली परम्पराओं की चर्चा की और उन्हीं महान नेताओं में उन्होंने श्री जगजीवन बाबू की भी चर्चा की। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जगजीवन बाबू इस देश के प्रधान मंत्री नहीं बन सके और इसका संबंध मैं बिहार से जोड़ रहा हूं। महोदय, बिहार में वर्षों से सामन्ती व्यवस्था है। जमींदारी व्यवस्था है। 5 से 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में सत्ता, धन, सम्पत्ति, शासन सब कुछ उन्ही के हाथ में वर्षों-वर्षों से रही है।

और 90 प्रतिशत आदमी सत्ता से महरूम, धन से महरूम, सामाजिक न्याय से महरूम, शिक्षा से महरूम थे। ऐसे समय में जब डा० राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में वहां संघर्ष हुआ — एक नाई परिवार में, हजामत बनाने वाले परिवार में कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए और वह बिहार के मुख्य मंत्री बने। मगर यह सामन्तवादी लोग, यह जमींदार लोग जिनका पूरा नियंत्रण शासन और प्रशासन पर था, जिनके सामने 90 प्रतिशत लोग गुलामी की तरह रहे, उनकी बहु-बेटियों की बिहार में कोई इज्जत नहीं थी। इन 10 प्रतिशत लोगों ने 90 प्रतिशत लोगों को गुलाम की तरह रखा। इनके परिवारों की बहु-बेटियों की इज्जत को इज्जत नहीं रहने दिया। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्य मंत्री बने तो साल, डेढ़ साल, दो साल कर्पूरी ठाकुर को नहीं चलने दिया। पहली बार बिहार का मुख्य मंत्री जब लालू प्रसाद यादव 1990 में बना तो 125 की संख्या के रहते हुए भी पांच साल तक बिहार का मुख्य मंत्री रहा। और उस पांच साल के अंदर महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैडयूल्ड कास्ट का आफिसर, अच्छे से अच्छा आफिसर, शैडयूल्ड ट्राइब का आफिसर, बेकवार्ड

क्लास का आफिसर जो इधर-उधर पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने कलेक्टर बनाया, उसको उन्होंने एस० पी० बनाया, अच्छे से अच्छे पदों पर रखा और जिन लोगों ने बरसों से बिहार को लूटा था, उनको इधर-उधर भेज दिया। यह उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। वह जिस बड़े परिवार से आते थे, उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साजिश शुरू हो गयी। फिर भी 1995 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के 168 एम० एल० ए० जीतकर आए और विशाल बहुमत से लालू प्रसाद यादव फिर से बिहार के मुख्य मंत्री चुने गये। मगर साजिश होनी थी। 1977 में जो फोडर स्कैम शुरू हुआ, 1990 से उसकी जांच शुरू हुई। यह अच्छी बात है कि सी० बी० आई० जांच कर रही थी, कोर्ट उसको देख रही थी। निष्पक्ष रूप से उसकी जांच होनी चाहिए थी। सी० बी० आई० पर छोड़ देना चाहिए था, कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए था कि निष्पक्ष रूप से जांच करें। मगर महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सी० बी० आई० को प्रभावित करने के लिए, कोर्ट को प्रभावित करने के लिए हमारे विरोधी दल के भाइयों ने लगातार बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया, आन्दोलन किये, आन्दोलन के अलावा खून-खराबे की नौबत पैदा की और आज कहते है कि बिहार की कानून और व्यवस्था खराब है। मैं अग्रवाल साहब को सुन रहा था। यह स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ है। स्वर्ण जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। बिहार ने इस स्वर्ण जयंती वर्ष में एक महिला मुख्य मंत्री इस देश को दी इसके लिए आपको, बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहिए और आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। वह एक पिछड़े वर्ग की महिला है। अगर आज वह किसी ऊंची जाति की महिला होती तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कुछ नहीं बोलते क्योंकि वह महिला पिछड़े वर्ग की महिला हैं — लालू प्रसाद यादव की पत्नी होने के नाते क्या उसको कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है? सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पत्नी होने से उसका नागरिक अधिकार छिन गया है? नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। यह उस नारी के प्रति, पूरी नारी जाति के प्रति अपमान है। हम यहां चर्चा करते हैं कि हम 33 प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे हैं और अगर बिहार में कोई नारी वहां की मुख्य मंत्री बनती हैं तो उसकी हम यहां आलोचना करते हैं। कहते हैं कि शिक्षित नहीं है, गांव से आयी है। क्या गांव की महिला को ऊंची जगहों पर जाने का अधिकार नहीं है? है, महोदय । मेरे पास समय कम है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ी साजिश हो रही है और साजिश के आधार पर ही — जब उस केस में इतने सारे ऐक्यूज्ड हैं तो क्यों लालू प्रसाद यादव के संबंधी के यहां मिट्टी खोदी जाती है? उसके घर में जाकर उसके दरवाजे पर मिट्टी खोदी जाती है। और जब कोई सबूत लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नहीं मिलता है तो साजिश तैयार करते हैं। साजिश एक ऐसा शब्द है जो किसी के खिलाफ भी तैयार किया जा सकता है। महोदय, उस दिन माननीय गृह मंत्री जी बयान दे रहे थे। मैं उसमें से ज्यादा नहीं, केवल दो-तीन लाइनें पढ़ना चाहता हूं। "केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा दानापुर में स्थित सेना के स्थानीय अधिकारियों से किया गया उपर्युक्त अनुरोध निर्धारित प्रक्रिया का अस्पष्ट उल्लंघन था और वह उनके अधिकार से पूर्णतया परे था।", मैं दूसरी लाइन पढ़ना चाहता हूं कि स्थापित प्रक्रिया से हटकर की जाने वाली किसी कार्रवाई के परिणाम गंभीर तथा अवांछनीय हो सकते हैं। इस अनधिकृत कार्रवाई से विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती थी। सरकार ने सुस्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना सेना की सहायता मांगने पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंधित अधिकारियों के आचरण को गंभीरता से ले लिया है। सरकार ने स्वीकार किया है कि गलती हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने में देर क्यों हो रही है? जब लालू यादव को गिरफ्तार करने में सीबीआई दो-चार घंटे का समय नहीं दे सकती थी सरेण्डर करने के लिए तो उस सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ जिसने सेना को बुलाने का प्रयास किया कार्रवाई करने में क्यों देर हो रही है? मैं अनुरोध करता हूं कि उस सीबीआई के अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यहीं मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं बहुत-बुहत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): भंडारी जी धन्यवाद। श्री शत्रुघ्न सिन्हा।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आजादी की 50वीं साल गिरह पर सबसे बड़ी राजनीतिक, शर्मनाक दुर्भाग्यपूर्ण, अफसोसनाक घटना एक बार बिहार में हुई। आजाद हिन्दुस्तान में पहली बार किसी मुख्य मंत्री के पद पर रहते-रहते चार्जशीट हो जाना और करीब-करीब पद पर रहते हुए गिरफ्तार हो जाना पहली बार बिहार में हुआ है। मैं अतीत में नहीं जाऊंगा। बहुतों ने जो बातें कीं, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। जो सोमपाल जी ने, भंडारी जी ने और यादव जी ने कहा उसका मैं रेपिटेटिव भी नहीं करूंगा। इसलिए मैं अतीत मे नहीं जाते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह जो गिरावट बिहार में आई है, चूंकि मैं बिहार से आता हूं और बहुत लोगों की नजरों में मैं बिहारी बाबू भी हूं मुझे

बहुत दर्द होता है कि बुद्ध का प्रदेश बिहार के चन्द* की वजह से बुद्धुओं का प्रदेश बनाकर पूरे देश में पेश किया जा रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बातें नहीं करता हूं और मेरे विरोधी भी इस बात की सराहना करते हैं....(**व्यवधान**)....

श्री एस०एस० अहलुवालिया: महोदय, यह* और बुद्धुओं क्या कह.....(**व्यवधान**)...

श्री सोमपाल: महोदय, किसी ने नाम को इस तरह से कहना यह इस सदन की मर्यादा नहीं है।...(**व्यवधान**)...

श्री नेरश यादव: आप उसको हटा दीजिए।....(**व्यवधान**)..

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मैंने लालू नहीं कहा है* कहा है।... (**व्यवधान**)...

श्री रामदेव भंडारी: आप लगा ही क्यों रहे हैं....(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चुतुर्वेदी):* वर्ड कार्रवाई से हटा दिया जाए।...(**व्यवधान**)...आप बैठिए। आप बैठिए।

श्री सोमपाल : इस तरह के शब्द उनको नहीं कहने चाहिएं। शब्द वापस लिया जाए। (...**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चुतर्वेदी): सोमपाल जी, आई हैव आलरेडी डिलीटि इट...(**व्यवधान**)...

श्री रामदेव भंडारी: वहां पर लालू का राज है,* का नहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री सोमपाल: लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए इस तरह के अशोभनीय शब्द प्रयोग करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा बाबू आप अच्छे नहीं लगते हैं।...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): सोमपाल जी, इस तरह के जो शब्द हैं वह निकाल दिए जाएंगे।...(**व्यवधान**)...

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: सोमपाल जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैंने लालू नहीं कहा है* कहा है* की वजह से..(**व्यवधान**)...और वह भी चन्द *की वजह से कहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सोमपाल: यह एक तरह का अशोभनीय शब्द है।..(**व्यवधान**)...

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री एस०एस० अहलुवालिया: कौन* है...(**व्यवधान**)...आप भी बिहार को रिप्रजेंट करते हैं, मैं भी करता हूं...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मैंने डिलीट करने के लिए कह दिया है। ...(**व्यवधान**)... मैंने डिलीट करने के लिए आदेश दे दिया है। आप आगे बढ़िए...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपम: बिहार का जो लोग समर्थन करते हैं वह ...(**व्यवधान**)...

श्री एस०एस० अहलुवालिया: बिहार की प्रतिभा पर आपने प्रश्न-चिह्न लगा दिया है...(**व्यवधान**)...बिहार की प्रतिभा पर कलंक का टीका लगा दिया है...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अहलुवालिया साहब आप तसरीफ रखिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मैं आपके दबाने से इम्प्रेस नहीं हो जाऊंगा।...(**व्यवधान**)...मैंने बिहार के बारे में कोई टीका-टिप्पणी नहीं की है। ...(**व्यवधान**)...आप अपनी इंपोरटेंस के लिए बात न करें...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल: चन्द शब्द का उपयोग किया है। ..,(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अग्रवाल जी आप नहीं बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: आप ये शाउट करके मुझे नहीं दबा सकते हैं...(**व्यवधान**)...आप गलत जगह हैं, आपको राजबब्बर भी चुप करा चुके हैं, मैं भी चुप करा सकता हूं...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप व्यक्तिगत बातें नहीं करिए...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपम: सच इनको कड़वा लगता है इसलिए इनको बैचेनी है...(**व्यवधान**)...

श्री शत्रुघ्न सिंहा: इनको बहुत कड़वा लग रहा है। इनका न कोई बेस है न कोई जगह है। मैं यह कहना नहीं चाह रहा हूं..(**व्यवधान**)...

श्री एस०एस० अहलुवालिया: इनका बेस क्या है...(**व्यवधान**)...

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: आपके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)...

* Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप बैठिए...(व्यवधान)...

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: आप बुहत चिल्ला चुके, आप ख्वाम ख्वाह पंगा ले रहे हैं। आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): देखिए, मैंने बराबर आपसे निवेदन किया है ....**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: He should withdraw those words. What is this? I will not allow him to speak like this. Let him show his base. Let him show his base. Our family has sacrificed a lot during the Freedom Struggle. What did you sacrifice? You are born in Bihar. You are living in Bihar. We have sacrificed a lot for Bihar. What are you talking?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप न करें। आप अपनी बात कहिये।...**(व्यवधान)**...अहलुवालिया साहब, आप बैठिये..**(व्यवधान)** मैं उसको देख लूंगा। चलिये शुरू करिये...**(व्यवधान)**...आपने क्या परसनल कहा, क्या उन्होंने कहा वह मैं देख लूंगा।...**(व्यवधान)**

SHRI S.S. AHLUWALIA: What does he mean by...**(व्यवधान)** बैसलैस बोल रहे हैं...**(व्यवधान)** ये बेस है इनका?...**(व्यवधान)**

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: आपका कोई बेस नहीं है, मैं दोबारा दोहराता हूं। क्या कार्यवाही होती है मेरे खिलाफ.....**(व्यवधान)**.

The Congress is a baseless party in Bihar.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नारायण प्रसाद जी, हम यहां पर अहलुवालिया साहब को या किसी व्यक्ति को डिस्कस नहीं कर रहे हैं...**(व्यवधान)** हम किसी व्यक्ति को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आप बैठ जाइये...**(व्यवधान)** किसी व्यक्ति को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वह मैं देख लूंगा आप अपनी बात कहिये। जो व्यक्तिगत आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, वह मैं देख लूंगा किसको दूर करना है, वो मैं कह चुका हूं।...**(व्यवधान)** क्योंकि होम मिनिस्टर साहब को...**(व्यवधान)**

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:....* के बारे में कि * कोई असंसदीय शब्द है क्या? हिन्दी में ये ....**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं आप बैठ जाइये, गुप्ता जी।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: उपसभाध्यक्ष जी, मैं खुद भी जब भूतपूर्व और अब अपनी हरकतों से शायद अभूतपूर्व मुख्य मंत्री, जब वे शासन में आये तो...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINSTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Just one minute, Sir. The Home Minister had already requested the Deputy Chairman yesterday — and permission was given — that he would go at 4 o' clock. Would you please consider it? The Minister of State for Home is here. The debate can continue. If you could excuse the Minster...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I think in these circumstances we may allow the Home Minister to go for his next assignment. The Minister of State for Home will be here. The reply will be given tomorrow. So, we can continue the debate. That is the sense of the House. The hon. Home Minister can go.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): I will come tomorrow, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Yes, because you have another assignment now at 5.15 (*interruptions*) It takes some time to reach a place. We should not be so finicky about these things.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे खुद कुछ लोगों ने यह बात पसन्द नहीं की थी, लेकिन जब लालू यादव मुख्य मंत्री बनकर आये थे तब मैंने उनकी सराहना की थी और मैंने अखबारों में बयान भी दिया था कि गरीब का बेटा, जिसने गुरबत देखी है, जिसने गरीबी

*Expunged as ordered by the Chair.

देखी है, वह जनता के दुखदर्द को ज्यादा अच्छी तरह समझेगा और उसे भरपूर मौका मिलना चाहिये। मैंने खुद कहा था कि मेरे भी कुछ लोगों को यह बात पसन्द नहीं आई थी और नव भारत टाइम्स व कई अन्य अखबारों में मैंने बयान भी दिया था कि यह आदमी जरूर बहुत भला करेगा लेकिन आने के बाद क्या हुआ? नारों की राजनीति, गपोड़संखी, बड़े-बड़े वायदे, इतने-इतने कांड सात साल में हुए मैं उस पर नहीं जाना चाहता अपराध क्या हुए? पैंतीस हजार हत्याएं हुई, यादव जी ने कहा है। लेकिन क्या कोई एक भी क्षेत्र है जहां पर कहा जा सकता है कि इजाफा हुआ हो? हॉस्पिटल, स्कूल्स, सड़कें, प्रकैपिटा इनकम, बिजली सैक्टर खेतों में ला एंड आर्डर प्रशासन, हर तरफ गिरावट। और जो यह फोडर स्कैम चल रहा है, इसका जिक्र हुआ है। ये तो टिप आॅफ दि आईश बर्ग है। अभी तो बहुत सारे स्कैम हैं जैसे आप टेलीफोन करते हैं और लाइन बिजी आती है। और एक रिकार्डिंग आती है कृपया आप इंतजार कीजिये, आप लाईन में है। अभी तो इस फोडर स्कैम के बाद बिटुमिन स्कैम है, लैंड स्कैम है, हॉस्पिटल स्कैम है, मैडिसन स्कैम है, हॉस्पिटल इक्वपमैंट स्कैम है, जंगल स्कैम है, कोल स्कैम है। स्कैम ही स्कैम हैं और इस दौरान जितने भ्रष्टाचार हुए वे भी किसने किये?

जिसने अपने आप को गरीबों का मसीहा बना कर प्रोजेक्ट किया। किस ने किया? जिसने सामाजिक समता और सामाजिक न्याय का नारा दिया और समाज में इतनी विषमता घोल दी कि आज बिहार में जितनी सेनाएं हैं, आज बिहार में जितने मार-काट हो रहे हैं और ऊपर से तुर्रा यह कि कहते हैं पटना की सड़कों को किसी हीरोइन के गाल की तरह चमका देंगे। यह जो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर उसका 10 प्रतिशत पैसा भी बिहार के विकास में लगाया जाता तो हीरोइन के गाल की तरह तो नहीं, कम से कम लालू यादव के बाल की तरह सफेद चिकना जरूर हो जाती वहां की सड़कें लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। आज जब सामने बात खुल कर आई है सी०बी०आई० जो सरकार की एजेंसी है, लोअर कोर्ट से ले कर सुप्रीम कोर्ट तक बेल रिजेक्ट हुआ है ऊपर से यह नारा उनका और उनके समर्थकों का कि वह निर्दोष है। कैसे निर्दोष है? ताली कप्तान को दो गाली भी कप्तान को।

तू इधर-ऊधर की न बात कर, यह बता कारवां क्यों लुटा,
मुझे राहजनों से गिला नहीं तेरी राहबरी का सवाल है।

तुम कप्तान हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, जवाबदेही तुम्हारी है, तुम अकाऊंटेबल हो, जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। माननीय सदस्य अहलुवालिया जी कह रहे थे और भी किसी सदस्य ने कहा कि वह निर्दोष है और आदमी निर्दोष है जब तक उसका दोष साबित नहीं हो जाता। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। आदमी निर्दोष है जब तक उसका दोष साबित नहीं हो जाता। तो फिर अगर यह मापदंड है तो उसमें तमाम आई०ए०एस० अधिकारियों को, बाकी पदाधिकारियों को बाकी लोगों को क्यों गिरफ्तार कर के इतने महीनों से रखा गया है? फिर सब को छोड़ दिया जाए। देश में जितने भी कैदी आज जेलों में पड़े हुए हैं जिनके मामले विचाराधीन है, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उन्हें भी छोड़ देना चाहिये।Two sets of laws for two sets of people! सी०बी०आई० के डायरेक्टर को बदला जाता है, किस कारण से बदला जाता है? लोगों को पता है और नया डायरेक्टर आता है और आते ही पहला बयान देता है कि हम पोलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। क्यों? पोलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट दूध के धुले हैं? दो लॉज होंगे दो तरह के लोगों के लिए! यह यहां पर हैंड इन ग्लव्ज वाली बात है। सेंटर के प्रोटेक्शन जैसे हमारे अंसारी जी ने कहा था मजबूरी हैं। मजबूरी समझ रहे हैं लेकिन इससे आप क्या संदेश दे रहे हैं देश को? हमारी संतानों को आप क्या बता रहे हैं? यह बता रहे हैं कि यह पोलिटिशियन है इसलिए उनके लिए बहुत सहानुभूति है, मैं जानता हूं अगर मैं लालू यादव की जगह होऊं, एज़ ए कलाकार मुझे बहुत दुख हुआ। मैं रिकार्ड पर कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत दुख हुआ, मैं यह सोच रहा था कि उनके बच्चों पर क्या गुजर रही होगी, उनकी पत्नी पर क्या गुज़र रही होगी। **(व्यवधान)**

श्री रामदेव भंडारी: आपको क्यों चिंता हो रही है? ..**(व्यवधान)**

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मैं कलाकार के नाते बोल रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री रामदेव भंडारी: उनके बच्चों की चिन्ता इनको क्यों है? **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) भंडारी जी, प्लीज़.. **(व्यवधान)** ठीक है रहने दीजिए **(व्यवधान)**

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: शायद इसी बहाने वह बात कहना चाह रहे हैं मुझ से। मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है, आप कह सकते हैं, आप बड़े भाई हैं। आप जो कहें, कह सकते हैं लेकिन मुझे इन्सान के नाते, कलाकार के नाते बहुत दुख हुआ कि उनके परिवार पर क्या

गुलजार रही होगी। लेकिन साथ साथ एक इन्सान के नाते यह भी महसूस होता है कि इतने सारे परिवारों के साथ क्या गुज़री होगी जिन पर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है। जो भ्रष्टाचार और अनाचार के शिकार हुए हैं, दुराचार के शिकार हुए हैं। आज बिहार में आंतक है। जिस दिन बिहार बंद हुआ, मैं उस दिन बिहार में ही था। यह स्टेट स्पोंसर्ड बंद था। जिस तरह से गुंडागर्दी सड़कों पर हुई है, जिस तरह से लोग बाहर आए, ट्रेंस को रोका गया, दुकानों को बंद करवाया गया, जिस तरह वहां का प्रशासन त्रस्त है, भ्रष्ट है, भयभीत है, अंग्रेजी में कहते हैं मोस्ट कोआप्रेटिव ब्यूरोक्रेसी इन बिहार। कोआप्रेटिव का डेफिनिशन क्या है, उन्हें बैठने के लिए कहो तो लेट जाते हैं। यह है कोआप्रोटिव वहां के। डी०जी० पुलिस, चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन ले कर रिटायरमेंट के कगार पर हैं और जो हाई कोर्ट में उन्होंने ऐफिडेविट दिया कि हां हमारे पास तैयारी है अगर किसी टॉप पोलिटिशियन की गिरफ्तारी होगी, हमारे पास पूरा इंतजाम है। महोदय, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के पास यह मामला आया, उस दिन दो ही संभावनाएं थी। एक तो यह कि बेल मिलेगी या दूसरी यह कि बेल नहीं मिलेगी। अगर बेल नहीं मिलेगी तो इस बात की तैयारी बिहार सरकार ने, प्रशासन ने क्यों नहीं की? चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मेजीस्ट्रेट सीनियर एस० पी० वगैरह ने गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की। आज आत्म समर्पण को बहुत बड़े त्याग और बलिदान की कहानी बनाया जा रहा है। आत्म समर्पण किस बात का? कोई डाकू मोहर सिंह है, वीरप्पन है कि नेगोसियेशन हो रहा है आत्म-समर्पण के लिए?

यह क्राइम, यह पोलिटीकल केस नहीं है। यह भ्रष्टाचार का केस है। यह क्रिमिनल केस है। चार्जशीटेड मामला है। क्यों पुलिस ने उन लोगों को रोका? क्या इसकी इन्क्वायरी आज आर्मी के ऊपर की जा रही है और सी०बी०आई० के ऊपर इन्क्वायरी की जा रही है? तूफानी, जो दलित है और तूफानी जी के दलित होने का इतना दर्द हो रहा हैं भंडारी जी को तो सी०बी०आई० का डाइरेक्टर जो बिस्वास है वह भी दलित है, उसके लिए क्यों नहीं आपको दर्द हो रहा है? ....**(व्यवधान)** एक आदमी आज अच्छा प्रशासक है, इस गंदे माहौल में एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, उसको भी आप लोग खा जाना चाह रहे हैं, ताकि कल कोई अच्छा काम न कर सके, कल कोई ऐसा काम करने से डरे, इसलिए कि पोलिटीशियन के सींग लगे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि बिहार में यह गरीबी और यह जो विकास का पैसा लूटा गया है तीन साल में 1991, 1992, 1993 में, कौन इस बात को मानेगा कि इन तीन सालों में 40 हजार मुर्गी, 5 हजार सूअर और 10 हजार मवेशियों के लिए जहां पैसा निकालना चाहिए था साढ़े दस करोड़ रुपया, वहां निकासी हुई है 254 करोड़ रुपया ....**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): यह मुकदमा कोर्ट के सामने है। ...**(व्यवधान)** यह कोर्ट के सामने है।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: यह तथ्य भी है और क्या हम मान सकते हैं कि बिहार में इतना बड़ा घोटाला मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री की बिना मिली-भगत के हो सकता है? दुनिया को पता है कि बिहार में तीनों एक ही है। मुख्य मंत्री भी एक है, गृह मंत्री भी एक है और वित्त मंत्री भी एक है। ट्रिपल रोल। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके लिए जब हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के ऊपर स्ट्रिक्चर दिया तो रिज़ाइन नहीं किया। चार्जशीटेड हुए, रिज़ाइन नहीं किया। हाई कोर्ट से बेल नहीं हुई रिज़ाइन नहीं हुआ और हमारी भारत सरकार ने गिरफ्तार भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का वेट किया। मैं समझता हूं एक मजबूरी यह भी है। यह भी तथ्य है। इसलिए बता रहा हूं कि गुजराल साहब खुद राज्य सभा में आए हैं। पटना से कैसे आए हैं पता है? मैं अहलुवालिया जी को जानता हूं वह पटना के हैं, बिहार के हैं। क्या कोई आंखों में आंखें डाल कर कह सकता है कि गुजराल साहब, भारत के प्रधान मंत्री पटना के बाशिंदे हैं? 50 साल में क्या वह 50 दिन भी वह पटना में रहे हैं? क्या उन्हें पता है पटना में अंटाघाट किधर है, मुसलापुर हाट किधर है, लाल जी टोला किधर है, कदमकुआं किधर है? लेकिन एड्रैस है। ...**(व्यवधान)**

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): You can put the same question to Shastriji. A professor in Calcutta representing the State of Uttar Pradesh! *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please take your seat. *(Interruptions)*

श्री सोमपाल: जरा सिकन्दर साहब के बारे में बता दें। ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: अगर ऐसी बात है तो व्यक्तियों पर न जाएं। ...**(व्यवधान)**

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: भंडारी जी, मैं अपने लोगों को भी कहूंगा ...**(व्यवधान)** लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं, ...**(व्यवधान)** वह मैं किसी और सभा में कहूंगा। ...**(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल: अगर प्रधान मंत्री कोई होता है इस पद पर होता है तो उसको सुनना पड़ता है। ...**(व्यवधान)** इसलिए कि वह प्रधान मंत्री है। ... **व्यवधान)**

DR. BIPLAB DASGUPTA: The same rule applies to everyone.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मैं उस पर किसी और सभा में किसी और दिन बात करूंगा। वह मेरा प्वायंट है। चाहे किसी पार्टी में हो, बी०जे०पी० में भी हो, यह फार्स हटा देना चाहिए। यह गलत है। या फिर जैसा लोक सभा में होता है, वैसे ही राज्य सभा में भी होना चाहिए। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन वह प्रधान मंत्री हैं इसलिए मैंने जिक्र किया। और यह ड्रामा इन डिफेंस ऑफ् द चीफ मिनिस्टर जिस तरह से बिहार में सरकार बनी है, जिस तरह बिहार में लड़ाई हुई है विधान सभा में जिस तरह से झारखंड जिसको कहा गया है ओवर माई डेड बॉडी उसी झारखंड के साथ मिलीभगत सौदेबाजी। जिस तरह से हमारे कांग्रेस के लोग कहते हैं करप्शन से ज्यादा खतरनाक कम्युनलिज्म है और जितना करप्शन करके अपने आपको सरकार को लाते हैं वह कांग्रेस करप्शन और कांग्रेस कम्युनलिज्म की बात कैसे कर सकती है? यह ठीक कहा उन्होंने 1984 के दंगे अभी तक भूले नहीं जिसमें कांग्रेस के लोग शामिल है और कांग्रेस हमें कम्युनल कहती है। हमें कम्युनल कहने का मतलब है देश की करोड़ों जनता की भावना का अपमान करना। We do not come through bullets. We come through the ballot.

हम चुनाव जीत कर आते हैं। इसलिए कम्युनल कहने का किसी को अधिकार नहीं है। दूसरी बात अगर हम कम्युनल हैं तो दो सीटों से 12 साल पहले शुरू हो कर करीब-करीब 200 सीटों पर कैसे आए

"कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा।"

हम आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए बिहार में जो दहशत देखी है, बिहार में जो दहशत जानी है, बिहार बंद के जो कांड हुए हैं, अगर यही बी०जे०पी० की सरकार होती तो...। स्टेट होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं इनकी जानकारी में लाना चाहूंगा, आपको जानकारी भी होगी कि वहां क्या स्थिति है, अगर यही जुकाम या नजला राज्य की बी०जे०पी० की सरकार को हुआ होता तो अब तक 356 का दुरुपयोग हो गया होता। गुजरात में दुरुपयोग किया गया 356 का, उत्तर प्रदेश में दुरुपयोग किया गया 356 का, लेकिन बिहार तड़प रहा है, राहत की सांस मांग रहा है, आपकी ओर आंख लगाकर देख रहा है, लेकिन आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज एक कड़वे सच को मीठी मीठी चासनी डालकर झूठ में बदलने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री जी, अभी भी अगर नहीं जगे तो वह जो कहते हैं कि वहा ब्लड बाथ होगा, भगवान न करे वह स्थिति हो, अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो जो अभी वहां दशहत का माहौल है, वह बहुत बड़े आतंकवाद में बदल जाएगा। पाखंड बहुत हो चुका है, वहां पर जंगल राज है। लोग रात के 9.00 बजे के बाद शहर में बाहर नहीं निकलते हैं और जो गांव के मित्र हैं वह शाम के 6.30 बजे, 7.00 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश यादव: बिल्कुल गलत है। आप बिहार में नहीं रहते हैं। आपको नहीं मालूम। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप बैठ जाइए। यादव जी, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: यह बात बिल्कुल गलत है। वह बम्बइया बाबू हैं, बिहारी बाबू नहीं रहे। ...**(व्यवधान)**...

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मेरे आटोग्राफ लेने की कोई बात नहीं। पचास-पचास मील तक कोई गाड़ी क्रोस नहीं करती है। ऐसी दहशत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। आप जो कहते हैं कि एक दलित औरत आई है तो बहुत तकलीफ है। बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मायावती जी की तरह वहां भी कोई दलित औरत आतीं तो दूसरी बात थी। क्या उनकी पूरी पार्टी में, डेढ़-दो सौ लोग जो मिलजुल कर आए हैं, उनमें एक भी और कोई दूसरी महिला नहीं थी, जिसको वह ला सकते, जो काबिल हो, अनुभवी हो, गुणी हो ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदेव भंडारी: आप कैसी बात कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: आपको ही बना देते, रंजन यादव जी को बना देते मुख्यमंत्री, किसी को बना देते, उसकी चिंता नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह तो वही बात हुई, जो उन्होंने कहा था कि जेल से राज करेंगे। यह प्रोक्सी रूल

है। यह जेल से राज हो रहा है। वहां राज्य पुलिस इन्हें इसलिए नहीं गिरफ्तार कर सकी क्योंकि एक्यूज्ड और मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी एक ही घर में थे तो एक्यूज्ड की गिरफ्तारी के लिए किस पुलिस वाले की हिम्मत होती। वह सहमे हुए, डरे हुए सी॰बी॰आई का रास्ता रोकते गए। सी॰बी॰आई॰ इस बात का इंतजार नहीं करेगी कि मुहूर्त निकाला जाएगा गिरफ्तार करने के लिए। आत्म-समर्पण की बात नहीं होती है। जब गुनाह हुआ, साबित हुआ तो चाहे आप हों या मैं हूं, कार्यवाही होगी। वह उनका अपना फैसला है, आज उस फैसले के खिलाफ बात हो रही है कि आर्मी के पास गए। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, संजय निरुपम जी ने आलरेडी वह डिटेल आपके सामने कही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस हालात में आर्मी के पास वह गए, उसकी नियत पर जाएं कि क्यों गए वह? जब सारी मशीनरी फेल हो गई, जब डी॰एम॰ कोपरेट नहीं कर रहे, डी॰जी॰ पुलिस थरथर कांप रहे हैं, डी॰एस॰पी॰, एस॰पी॰ एक तरफ किनारे खड़े हैं अर्थात् वहां पर कोई मदद नहीं कर रहा, कोई कंटनजेन्सी प्लान नहीं, हाईकोर्ट का एफीडेविट देने के बाद तैयारी पूरी नहीं की तो आखिरकार हताश होकर, परेशान होकर, निराश होकर, मजबूर होकर जज का दरवाजा उसने खटखटाया और जज ने जो आदेश दिया उस आदेश का पालन करके न्याय प्रणाली को मजबूत करने की, लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश की।

महोदय, अगर इन्क्वायरी होनी चाहिए तो उन लोगों पर होनी चाहिए, उन पुलिस अफसरों पर होनी चाहिए, बिहार प्रशासन के उन अधिकारियों पर होनी चाहिए, जिन्होंने अड़ंगा लगाया, जिन्होंने सी॰बी॰आई॰ की जांच नहीं होने दी। मैंने खुद कभी 356 का समर्थन नहीं किया, न मैंने कभी मांग की, लेकिन आज मैं तमाम लोगों का, विशेषकर आपका आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि समस्या अति गंभीर है, बिहार में इस वक्त और कोई चारा नहीं रहा, सारे चारे पहले खतम हो चुके हैं, अब तो एक ही चारा है—प्रेसीडेण्ट रूल। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): The debate will continue ...*(Interruptions)*... All the speakers who were listed have spoken except the leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*... The hon. Home Minister will reply tomorrow. ...*(Interruptions)*... The clarifications will also be given by the hon. Home Minister tomorrow. The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 6th August, 1997.

MGIPRRND—62 GIPMR/99—300